

[Shri V. Narayana Samy]

while disposing of the land. Therefore I give four or five suggestions to the Ministry and the N. T. C. for disposing of the surplus land. Firstly, the land should be sold after careful survey. Secondly, the area required for possible expansion of the mills should be excluded and should not be disposed of by the mills. Thirdly, the land should be sold at the market price with the approval of the Revenue Department of the State Government concerned. Fourthly, the funds that would be raised by selling the land should be utilised only for the expansion of that particular mill or for reopening this mill. Fifthly, both the Houses, Lok Sabha and Rajya Sabha should be taken into confidence by the Government at the time when they start disposing of the land. With these words, I conclude. Thank you.

1. RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO JAMMU AND KASHMIR

2. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF ARMED FORCES (JAMMU AND KASHMIR) SPECIAL POWERS ORDINANCE, 1990 AND

3. THE ARMED FORCES (JAMMU & KASHMIR) SPECIAL POWERS BILL, 1990—Con

उपसभापति : रत्नाकर जी, कांग्रेस पार्टी का समय खत्म हो गया है बोलने का। जितना समय दिया था उससे... (व्यवधान)... एक सैंड, स्कून से बैठिये। समय खत्म हो गया है। आपको काफी समय दिया गया था उस दिन बोलने के लिये। इसलिये आप खाली कन्क्लूड कर दीजिये, दो मिनट में।... (व्यवधान) मेरे घर से थोड़ी आता है कि वे ज्यादा दे दें। हाउस का समय है। दो लोग, जो कांग्रेस की तरफ से बोले नहीं हैं वो एम० पी० साहव और रफीक अलम साहव, मैं चाहूंगी कि 5-5 मिनट उनको दूं। इसलिये रत्नाकर जी

क्योंकि आप काफी बोल चुके हैं इसलिये आप बस कन्क्लूड कीजिये।

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : मेडम, उस दिन का रिकार्ड देख लीजिये, इतना इन्टरफ़ोन हुआ कि मैं ज्यादा बोल ही नहीं सका।

उपसभापति : आप ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि इन्टरफ़ोन हो। आप सीधा बोलेंगे तो कोई इन्टरफ़ोन करेगा ही नहीं आपको।... (व्यवधान)... आप कोई ऐसी बात न कीजियेगा जिससे इन्टरफ़ोन हो। नहीं तो फिर मैं भी इन्टरफ़ोन कर दूंगी।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मेडम आप थोड़ा ढंग से मुझे झिड़केगी...

उपसभापति : मैं किसी को नहीं झिड़कती।

It is only a reaction. It is never an action.

जैसा ऐक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। जब आप लोग भड़कते हैं तो मैं खाली पानी का छिड़काव करती हूँ, पानी छिड़कती हूँ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : पानी बड़ा गर्म होता है, गुलाब पल का छिड़काव किया कीजिए।

माननीय उपसभापति जी, मुझे आपने काश्मीर के संबंध में उस दिन के भाषण को आगे चालू करने का मौका दिया है इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मैं उस दिन कह रहा था कि पिछली सरकार पर आरोप पर आरोप लगाये जाते हैं लेकिन सन 1980 से 89 में 1988 और 89 का वर्ष टूरिज्म व्यवसाय की दृष्टि से काश्मीर के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा। यह सब हमारे नेताओं और तत्कालीन प्रधान मंत्री के सफल कार्यकलापों का परिणाम था कि 10 वर्षों में टूरिज्म के माध्यम से जितनी आर्थिक आय काश्मीरवासियों को 1988-89 में हुई उतनी कभी नहीं हुई। मैं

मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो ट्रिजम की आप घटी है, जो झील है वह वीरान हो चुकी है, सैलानियों से रहित हो चुकी है और फौजी लोग किनारे पर पहरा दे रहे हैं, उस स्थिति को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पुनः ट्रिजम व्यवसाय को काश्मीर में स्थापित करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। काश्मीर अपने सेवा के लिए अपने केसर के लिए, अपने बादाम और अपने अखरोट तथा अपने वीथिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए दुनिया में जाना माना जाता है। छूने वाले सीजन में इन उत्पादित चीजों की देश में भारी खपत होगी। सरकार क्या इन चीजों को पैदा करने वालों को सपोर्ट प्राइस दे करके उनका माल भंडियों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था करेगी? रोज रोज काश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और विद्यार्थी अपने विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में झटका हुआ है, उनके भविष्य के साथ पूरे काश्मीर में जो डिस्टेंड एरिया है, खलवाड़ हो रहा है। उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। विद्यार्थियों का वर्ष खराब न हो इसके लिए क्या सरकार उनको बिना परीक्षा के अगली श्रेणी में उत्तीर्ण करने का विचार रखती है ताकि उनका भविष्य खराब न हो और समय का वही उपयोग कर सकें।

महोदयों, जो कल श्रीनगर में घटना हुई, वह अपने आप में शर्मनक घटना है। वायुसेना के तीन अधिकारियों सहित 21 लोग मारे गये और 38 लोग घायल हो गये। उधर प्रशासन ने शहर के प्राचीन वाले इलाकों में कर्फ्यू के दौरान निगरानी रखने के लिए सेना बुला दी। वायुसेना कर्मियों में श्री माया राम, श्री बलदेव सिंह और श्री मनोज कुमार का पत्र प्रशिक्षित उपवाहियों ने श्रीनगर बड़गांव मार्ग पर दो सितम्बर को कार्यालय जाते समय अपहरण कर लिया और सायंकाल 3 बजे भारत माता की रक्षा के लिए इन तीनों ने आतंकवादियों के समक्ष अपनी जान दे दी। मैं इस सदन के माध्यम से उनके सम्मान में इस सदन को भावनाएँ

व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत माता की धरती पर जो अपना खून बहाया है उससे आतंकवाद में कमी आयेगी। इस तरह की स्थिति आज काश्मीर में व्याप्त है वह चिंता का विषय है। जगमोहन जी इस सदन के सदस्य हो गये हैं और उसके बाद जो गवर्नर बनाये गये हैं उनके हाथ से सा एंड आर्डर खिसक चुका है ... (समय की घटी)

श्री उपसभापति : 4 मिनट हो गये हैं, बस 1 मिनट और बोल दीजिए।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : अभी 24 अगस्त को सफ़ाकादल में जम्मू काश्मीर बैंक की शाखा के एक वाहन से 4 सशस्त्र लोग ने 29 लाख रुपये की रकम लूट ली। वहाँ के जो हिंदू लोग जम्मू काश्मीर से लौटकर जयपुर, दिल्ली और अन्य जगहों पर फ़िले हुए हैं उनमें से कुछ लोग कल मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आप सदन में इस मामले को उठाइये कि हमारे जो घर हैं हमारी जो सम्पत्ति है जिसेको जलाया जा रहा है और प्रशासन किसकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अब इस पार या उस पार की लड़ाई पाकिस्तान अधिभूत काश्मीर जो काश्मीर का है, हमें करनी होगी। (समय की घटी) और केवल बातों से काम नहीं चलेगा ... (व्यवधान)

उपसभापति : आपके पांच मिनट पूरे हो गये। आप कृपया बैठ जाइये।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैं एक मिनट और चाहता हूँ और एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूता। मैं चाहता हूँ कि जो प्रश्न मैंने उठाये हैं, उन पर मंत्री महोदय ज़ीरेवार उत्तर दें।

हमारे सदन के एक सदस्य सुकवि बेकल उस्ताही ने कहा है कि—

जो फूलों से ज्यादा नाजुक हैं,
शमशेर की बातें करते हैं,
जो देखने में बेसुरत हैं,

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

तस्वीर की बातें करते हैं,
नफरत जिन्हें मान्यता से,
मातृभूमि की मिट्टी से, गहारे बतन हैं,
कैसे वह कश्मीर की बातें करते हैं ?

उपसभापति : बस, बस मैं आपको
यहां पुरी पोइंट्री पढ़ने नहीं दूंगी। बस,
अब आप बैठ जाइये। आपने कश्मीर
की अच्छी बात कर ली। बस आप बैठ
जाइये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वह भारत का
अविभाज्य अंग है और वहां सेना
डीमारेलाईज की जा रही है।.....
(व्यवधान)

उपसभापति : बस, अब आप बैठ
जाइये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : ऐसी स्थिति
में सरकार ऐसे कदम उठाये जिसे वहां
शांति, सुव्यवस्था आ सके और जो भारत
के नागरिकों की अमूल्य धरोहर है,
कश्मीर जो स्वयं से भी महान है, उस
घरती को भारत का अभिन्न अंग हम
रहने दें। मैं (व्यवधान) और अंत में मैं
कहना चाहूंगा कि—

न सम्भोगे, नो मिट जाओगे ताजो-
तख्त के मालिक,
तेरी बरबादियों के मशिरे हैं
आसमानों में।

इकबाल ने जो कहा था, उसे मैं मंत्री
महोदय को सुनाना चाहता हूँ।

उपसभापति : वह तो आपने सुना
दिया।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA
(West Bengal): Madam Deputy
Ghairman, my party has "been plead-
आवभाज्य अंग कश्मीर रह आर भा त स
अलग न हो पाये। व्यवधान।

to J&K

ing for a pretty long time that the
Government should take steps to bring
about a political settlement of the problem
of Kashmir. We believe that there has been
an alienation of the people from those who
are there to run the administration, on the
one side, and on the other, alienation there
has also been of the people of Kashmir
from the Government of India. The reason
is, there have been a number of mistakes,
And mistakes have been committed in the
past to get narrow political mileage.

The very reason that the National
Conference aligned itself with the
Congress(I) had alienated that organisation
from the broad mass of the people because
the National Conference had always acted as
a buffer political force between the
secessionists on the one hand and the country
on the other. The alliance forged between
the National Conference and the Congress
(I) led the people to believe that the National
Conference had surrendered its own
political identity. That was historical
mistake and because of that historical
mistake, the subsequent mistakes started
occurring.

Therefore, Madam, I believe that Indian
statesmanship and the political leadership in
the country should take care of the sensitive
nature of the problem. Once that is taken into
consideration, there is no reason to behave
why the Government should not put more
emphasis and stress on finding a political
solution.

The second mistake was committed by
the Government. After they came to
power, they appointed as Governor of
Kashmir a person who was looked upon by
the people of that State as one having
bourgeois inimical intentions. After this person,
who had earlier also been the Governor of
that State, assumed office, he relied more
upon force, brutal force. I do not say that
force is not to be used. But while using
force, there has to be

caution. While using force, there has to be an intention of weaning away a larger portion of the people and isolating the hardcore. I think, this wisdom was not shown by the political leadership. Thirdly Madam, I believe that something is being spo-ken of in this country which also alienates the people. There is demand for abrogation of the special status of Kashmir, demand for abrogation of Minorities Commission, demand for the abrogation of certain other rights that the minorities of this country are enjoying. The demand is being made that it should be given a go-by. But this is having a cumulative "effect. Therefore, the problem of Kashmir is only a cumulative by-product of the mistakes that had taken place one after another and we are paying the price for those mistakes. Therefore, if we have to rectify the mistakes, we will have to be more careful. And to be more careful, we must talk more of a political solution. Once again, I call upon the Government to show political wisdom, to rely less on force and more on political reconciliation. There has to be a process of political reconciliation. And to bring about a process of political reconciliation, it is essential that the political initiative *the initiative to create some sort of understanding among the masses of Kashmir should be taken so that the trouble-makers, the secessionists, the people who have been trained get total alienated from the "dominant 'consciousness of the people of that area. If that isolation is not brought about, then I suppose no policy is going to yield any results. And to bring about that isolation, it is necessary that we create some sort of understanding among them, we create a feeling that we are interested, in
^bringing about a solution.

Therefore, Madam, I believe; Government should rely more on political initiative. Government should take steps immediately to hold elections. Government should seriously ensure that all complaints of ex-

cesses are looked into. I do not want even a single complaint of excesses not being looked into by Government. And people must feel that there is a process to which they can appeal to get at least a redressal. Therefore, it is essential that a sense of neutrality of the administration, a sense of neutrality of the people who are ruling that part of the country is created. And it is only by taking a number of steps that we can bring about a solution. Overnight solution is not possible.

Lastly, I believe that Kashmir is paradise of India. Let it not be the place of confrontation, or the burial ground of the wisdom of Indian statesmanship. Let us prove that the Indian statesmanship is more powerful than the strength of the guns that the Pakistanis are supplying in some people of that region. Let this strength and power become more powerful than the strength of secession, than the strength of infiltrators, than the strength of the people in Pakistan who want India to disintegrate. Therefore, let the spirit of sanity survive. Let the spirit of confrontation go. And let the policy of reconciliation prevail. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Just two minutes are left. Mr. Patel, you can speak for five minutes.

श्री बिठ्ठल भाई मोतीराम पटेल
(गुजरात) : महोदया, गृह मंत्री जी से मैं इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि इस मामले को आप पहले वाली सरकार या इस सरकार की बात मन सोचिए, अगर हमें गलती हुई है या आपसे गलती हुई, आपकी सरकार से हुई है तो मान लीजिए । मानने में कोई बुराई नहीं है । लेकिन आपने और आपकी सरकार ने कोई गलती ही नहीं की है ऐसा मान कर चलेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा । काश्मीर में आपको क्या-क्या करना चाहिए मैं शार्ट में आपको बता देना चाहता हूँ । पहले तो सैक्योरिटी फ़ोर्स हटा लीजिए । जो वहाँ सैक्योरिटी फ़ोर्स ने लोगों पर जुल्म किए

(श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल)

हैं उनकी आप तलाश कीजिए और अगर आपको लगे कि जो बात है उसमें कुछ तथ्य हैं तो आप वैसे लोगों को वहां से हटा लीजिए जो लोगों के साथ प्यार से काम करे, ऐसे अफसरों को वहां रखिए और वहां की जो पुलिस है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रखो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सम्भालना आपका काम है और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। ये सेक्युरिटी फोर्सेस वाले तो वहां की पुलिस की भी उठक करवाते हैं। तो यह कोई अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं।

दूसरे आपने वहां "टाइड" के अंदर किसी को एरेस्ट किया और फिर उन काश्मीरियों को आप तमिलनाडु क्या दूरी जेल में भेज देने हैं। अब एक गरीब परिवार के लड़के को आपने पकड़ा तो उस गरीब परिवार के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वह तमिलनाडु जाकर अपने लड़के को मिल ले। एक और गलती आपने यह की है कि काश्मीर की अदालत खत्म कर दी। अब सिर्फ जम्मू की अदालत में केस चलेगा। अब एक काश्मीरी जो अनतनाग या पहलगवांव में रहता हो, उसके एक लड़के को पकड़ लिया तो उसकी डिफेंस के लिए जम्मू जाना पड़ेगा। श्रीनगर से जम्मू का रास्ता 12 घंटे का है बाई का और पहलगवांव से श्रीनगर आ जाओ तो पांच घंटे और लगेंगे। आप जरा सोजिए कि अगर आपके किसी रिश्तेदार को पहलगवांव में पकड़ा हो और आपको केस लड़ने के लिए जाना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी, कितना खर्च होगा। आखिर काश्मीरी लोग इतने पैसे वाले तो हैं नहीं अभी कि वे इतना पैसा खर्च कर सकें। मैं लोक सभा के चुनाव में दो-तीन बार काश्मीर गया हूँ। हम ने कभी उनके मुह से हिन्दुस्तान के खिलाफ नहीं सुना। वे भात के साथ खुश थे।

मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आजाद काश्मीर में हमारे से भी बधतर हालत थी। वहां के लोग पाकिस्तान के कब्जे में खुश नहीं थे और

आज भी वे लोग खुश नहीं हैं। मेरे दो-तीन जर्नालिस्ट्स दोस्त अभी पाकिस्तान होकर आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि आजाद काश्मीर में भी लोग बर्तमान शासन से खुश नहीं हैं। लेकिन हमने वहां 8-10 महीने में जो हालत कर दी है, इससे हमारे वहां जो काश्मीर वाले हैं, उनका हमारे ऊपर से श्रद्धा उठ गई है। वह इतने निराश हो गए हैं कि (समय की घंटी) उनको लगता है कि हमारी विस्मृत श्रव इस देश के साथ ठीक नहीं रहेगी। ऐसा वह सोचकर आजादी की बात करते हैं।

आप जो टेरॉरिस्ट्स की बात करते हैं, तो वहां के लोगों पर आप पूरा भरोसा करिए तो टेरॉरिस्ट्स में कुछ नहीं करेंगे। आपने तो वहां की पुलिस को भी निकामा कर दिया है। पूरा बच्चा सेक्युरिटी फोर्सेस ने ले लिया है और वहां टिक्ट सेक्युरिटी फोर्सेस के अफसर खुले आम गाली देते हैं, सारे मुसलमानों को खत्म करो। यह नहीं चलेगा। इस तरह से आप किसा की नहीं जात सकते। वहां हिन्दुस्तान का विरोध नहीं था, आप हिन्दुस्तान विरोधी बना रहे हैं। वहां एच०एम०टी० वर्कर्स कहते हैं कि हमें काम करने पाना है हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। जो एच०एम०टी० के हिंदू अफिसर्स हैं, वह खुद कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा नहीं है। फेक्ट्री खोलें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। फिर भी आप फेक्ट्री नहीं खोलते हैं, तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। जो वहां काम करने वाले लड़के-लड़कियाँ हैं या दूसरे अफिसर हैं, उनको तनख्वाह तो दे दालिए। उनको बंद करने से पहले तनख्वाह देनी चाहिए। तो ये सब चार्ज तो छोटे-मोटे कहेंगे, लेकिन उनको इनसे गुस्सा आ जाता है और गुरसे में इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जरा ठंप दिमाग से सोचिए कि आपके साथ अगड़े ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? अगर भी गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए ये छोटे-छोटे बातें जो हैं उनको आप करैक्ट कीजिए (समय की घंटी)।

दूसरे, जो कम्युनल फोर्सेस हैं, इधर के या उधर के वे गलत अफवाहें फैलाते हैं। किसी ने कहा कि हिन्दु लड़की पर

वह किया। मुसलमान ने कहा कि मुसलमान लड़की की वह किया। विलुप्त कुछ नहीं हुआ होता है। सिर्फ तनाव मराने के लिए कम्प्युनल फासिस काम कर रहे हैं। उसी भी आन तलाश कर राकिए। यह जम्मू में उधादा चलती है कुछ भी नहीं होता है तो भी वहाँ रोना-हान-हानी अफवाह फैलाया जाता है। तो ऐसे लाग, जा अफवाह फैलाने वाले हैं, उनको भी आप काँड़िए, आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जा लाग आपने वहाँ फासन करने के लिए भजे हैं, वे भी मले हुए हैं। तो आप कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पर भी आपको सोचना होगा।

to J&K THE DEPUTY CHAIRMAN The House is adjourned for lunch title 2—30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty six minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

महोदय, जैसे मैंने प्रस्ताव का कहा। इसको भी आपकी फील का देना चाहिए क्योंकि एक कश्मीर में रहने वाला, विलुप्त बाईर पर रहने वाला अर्धमा जम्मू कैसे आएगा। इसको तो आन कर ही दें, एक एजाकटिव आर्डर से कर दें कि जो अर्धमा कश्मीर में थी, वे फिर से फासन करेंगे। अब आर गवर्नर साहब एन उन्सवैट करके कश्मीर की सशत-अदालत, दूसरी अर्धमा का खाम कर दें तो यह कोई सही तराती नहीं है काम करने का। इसलिए आनसे विनती है कि आप अर्धमा से अर्धमा इस संबंध में कुछ काँड़िए। फिर जा आने लाग किड़े हुए हैं, उनके कैसे सारिये काँड़िए और आर वह लाग इन्वोलव नहीं है तो उनका अभिनवाडु की जल में बंद रखने का क्या फायदा है? उनको आप अर्धमा से अर्धमा छाँड़ दें। साथ ही वहाँ से सिक्काटः काँड़िए को भी अर्धमा देना, विशेषकर उन अर्धमा को, उनके खिलाफ काँड़िए है उनको तो अर्धमा हो दाँड़िए प्रोए एक इंडिपेंडेंट इन्स्टिट्यूट से इनकी जाँड़िए करवाए कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? अभी आकर आपको सही स्थिति का पता लेगा, केवल यहाँ बैठकर आन वहाँ की स्थिति को समाल नहीं पाएंगे।... (समय की बंदी)...

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : महादया, आपके माध्यम से मैं अर्धमा करता हूँ कि आप सूचना और प्रसारण मंत्र। श्री पी० उपेन्द्र से कहिये कि कश्मीर के बारे में दूरदर्शन या रेडियो पर गलत समाचार न दें क्योंकि कश्मीर वाले भी दूरदर्शन के समाचार सुनते हैं और आकाशवाणी के समाचार भी सुनते हैं। उनके दिमाग में यह होगा कि कश्मीर के बारे में गलत समाचार दूरदर्शन व आकाशवाणी से दिये जाते हैं जिस पर से उनकी विश्वसनीयता उठ जायेगी। कल की बात है, कल रात हिंदी और अंग्रेजी बुलेटिन में कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने कोई सभा गाँव में ला हाँगी, वह तो दोनों बुलेटिन में दिखाया लेकिन तानाशाही के आफिसर, एयरपोर्ट के आफिसर जो भारे गये और 20 अन्य बायल हुये उसके बारे में कोई समाचार नहीं दिया। अगर ऐसा होगा तो लोगों का भरोसा दूरदर्शन और आकाशवाणी से उठ जायेगा। वहाँ खदा से डरने वाले लोग हैं। अगर सही समाचार आप देंगे और कल आपने यह समाचार दिया होता तो खुद कश्मीर के लोग कहते कि बहुत बुरा हुआ है, वह यह नहीं कहते कि अच्छा हुआ है। इसलिये आप प्रसारण मंत्रों से कहिये कि कश्मीर के बारे में समाचार देने में क्या रखें अन्यथा उन लोगों का यहाँ के लोगों पर से भरोसा उठ जायेगा। मैं सुबह उठा तो मैंने समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर देखा कि कश्मीर में कल इतना बड़ा हंगामा हुआ और दूरदर्शन ने उसका कोई समाचार ही नहीं दिया और आकाशवाणी ने भी नहीं दिया। यह ठीक

मने जो मुझाव दिए हैं, उन पर प्रगट आन गौर करे तो मैं समझता हूँ कि नारायण ठीक होने का संभावना है।

[श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल]
 नहीं है, आप उसको करेक्ट करिये और
 उपेन्द्र जो को बोलिये कि ऐसा कुछ
 करेंगे। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I j
 would humbly request every Member to
 be very, very brief. Prof. Souren-dra
 Bhattacharjee.

PROF. SOURENDRA BHATTA
 CHARJEE(West Bengal): Not to me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All of
 you. I thought you are a Member of this
 House.

PROF. SOURENDRA BHAT-
 TACHARJEE: Anyway, Madam, Deputy
 Chairman, I thank you for giving me this
 opportunity. To me, Kashmir seems to
 be a problem which perhaps is more or
 less out of grasp of everybody. When the
 problem started, I was quite young and I
 was in twenties. Now in sixties the
 problem is no nearer to the solution to
 me. Really it is very difficult to win
 Kashmir against the Kashmiris even by
 the Kashmiri Home Minister. The
 Kashmiri Prime Minister could not do it
 in 1947 and thereafter I do not know how
 the Kashmiri Home Minister will bring
 back normalcy. The question of
 Pakistan is no doubt important. We will
 have to fight that. But the point is that it
 is easier to fight straightway a foreign
 invasion but when it is against your own
 people, the problem is really
 insurmountable and it is not just law and
 order problem. But the fact remains,
 during these long periods, most of the
 time, it has been treated as just a law and
 order problem or both Punjab and
 Kashmir were considered fertile ground
 for political manipulations. The latest
 phase in Kashmir's turbulent history is an
 outcome of opportunistic political
 manipulations which materialised
 through the National Conference and
 Congress (I) alliance. It was from that
 time onward that the National
 Conference lost its credibility with the
 people of Kashmir. The

Congress (I) had nothing and this
 combination has proved disastrous.
 But when you say that, that will not
 help the existing political conditions.
 A change has occurred. A Govern- ->
 ment has come into office. That
 Government is nine months old.
 During these nine months period, it
 has almost been a catalogue of daily
 deaths, either 18 or 10 or 6. It goes
 on. (Interruptions). '.....

Mr. Hanumanthappa may be more
 conversant with that aspect.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
 Anyway, it is not premature..

PROF. SOURENDRA BHAT-
 TACHARJEE: But anyway, the question
 is that Kashmir is practically in the hands
 of the armed forces and there are
 allegations that the worst type of atrocities
 have been committed by a section of
 jawans, officers and others. There is no
 reason to suppose that the police is
 capable of committing atrocities, the army
 is not. We have heard of it in Sri Lanka
 against the Tamils and now it is being
 heard in Kashmir against the Kashmiris. I
 put the question here regarding the report
 of Independent Initiative. The reply given
 by the Home Ministry was "Which
 independent initiative has been meant is
 not clear. However, reports like these
 have not come across the Government"
 or things like that. Now in course of this
 discussion, it was reported that the present
 Governor, Mr. Saxena, had occasion to
 take action in twelve cases. That shows
 the existence of this thing and it must be
 remembered that Kashmir is a very
 sensitive place and if it is not dealt with
 cautiously, with sympathy, what will
 happen is the further alienation of
 Kashmir problem. It is a fruit of our
 partition. The division of the country
 ordinarily is its basis and after that,
 integration of the States, it did not follow
 the rational principle. India did not accept
 in her own respect the religious basis and
 it remained a secular State. But the
 acceptance of the communal division in
 1947 is taking its toll even now.

Thai reality has to be faced. It is not a question of Hindus of Jammu or Muslims of Kashmir or Buddhists of Ladakh. It is a question of Kashmir of J & K as a whole. It is a part of India, no doubt. But if one part is part of J&K, that also cannot be forgotten. Given this reality, if you want to mobilise people on this side, they have to be treated with adequate respect for democratic principles and at the same time, by effecting a political configuration in Kashmir. Without that, however bold statements may be made, they are of no avail. The Home Minister made a statement on the day before yesterday. Kashmir has many grievances. Grievances won't be solved by statements. That fact has also to be recognised by not only the Home Minister but by the people of India as a whole. So, my submission would be this. Taking all these aspects into account, taking the Kashmiri people into confidence, a way to the solution of the Kashmir problem should be found out and that won't be found out in a battlefield against the people of Kashmir. Thank you, Madam.

SHRI JAGMOHAN (Nominated)
Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I am not going to speak in detail. I will talk on only one aspect of it which I think will be of interest to both the sides and that pertains to the disinformation. I think the damage that the disinformation is causing is not being properly understood. To bring home my point, I will give you a few illustrations.

On 1st March 1990, a school bus carrying the army school children was attacked. The guards fired. It happened in the suburb of Srinagar. And there were casualties. As the Governor, I ordered the Corps Commander to inquire into the matter. The Corps Commander wrote in the inquiry report that the children were coming; in this manner they were attacked; the guards are always under order to protect and therefore, they resorted to firing; and the casualties were there. And the justified it. We issued a press note on the basis that.

After a few days came the so-called report. I do not want to take any name and raise a controversy as to who sent the report. They said, "We went to Srinagar". I mean, for a few days, they go there, meet some interested parties and they write, "The army and the Governor's administration have spoken a lie. All the Schools in Srinagar were closed at that time. So the question of attacking any School bus does not arise. And this report was sent all over India. It was sent to countries abroad. It was broadcast from Radio Pakistan and their television speaking about the barbarous nature of the administration, quoting our report. One can understand that the terrorists have a technique of going for disinformation to demoralise the administration. But our own people go and give this report and it is quoted. And what is the evidence? 'We met some people'. From the 'New York Times' and 'Washington Post, people came to see me. The first question everybody asked me was about this incident. Nobody went to the school to find out the truth. Nobody met any parent. Nobody met any teacher. Nobody met any defence personnel. Nobody came to the Governor and nobody took care even to see the documents. Examinations were going on those days. Civil schools were closed and army schools were open at that time.

And see what a damage was done in the international forum, Amnesty International and what not, on the basis of our report the evidence of which and the facts of which I have placed before the House. I will give you a second incident. I do not want to name., I only want you to understand. A weekly of Bombay says that Mr. Jagmohan in an interview with that weekly said that every Kashmiri Muslim was a militant. I was in Srinagar. I heard that there was a lot of noise in Parliament on this interview and a letter had been sent to the President saying that he had appointed a communal-minded person as the Kashmir Governor. I did not know which weekly it was. I could not check.

[Shri Jagmohan]

I came to Delhi to find out the name of the weekly. I tride and found out the name of the weekly. I had not given any interview to such a weekly at all. But then to be doubly sure, I rang up my personal staff and asked, "Did you give any time to anybody like that?", because in these days security is so tight that nobody could come to the Raj Bhavan without so many signatures being done; so much of identification being done; only then would you be permitted in. They said, "No, there is no such thing. And just imagine, the way they are projecting a man who is fighting a very grave and difficult battle as anti-Muslim without any basis and on the basis of concoction. I was left with no other option, but to give a legal notice. Two months have passed and the legal notice could not yet be served, because the editor is supposed to be abroad, sometimes he is not at home and we do not know who is going to follow up these things. But just imagine the damage that has been done. Then it is said that Mr. Jagmohan has thown out the Muslim officers. It is our own press and our own people-and I am not making any complaint against Pakistan and the terrorists--who are saying that he has thrown out all the Muslim officers. And what is the fact? Just imagine, the Adviser I appointed for dealing with law and order, for subversion and terrorism, Mr. Jamil Qureshi, was a Muslim; the man I appointed Chief Secretary, Law and Order, a new post, Shri Hamidulla Khan, was a Muslim; the Divisional Commissioner of Srinagar was a Muslim; the Deputy Commissioner of Srinagar was a Muslim; the DIG of Srinagar, Mr. Ali, was a Muslim and the Home Secretary was a Muslim. My own Deputy Secretary who had to deal with public hearings and public grievances--! used to hear hundreds of people and you must have seen the photographs--was a Muslim. For all matters connected with subversion and terrorism the officers appointed were Muslims and yet Mr. Jagmohan was quoted by our media as an anti-

Muslim; If you want to solve the Kashmir problem in right earnest, kindly try to seek the correct facts. Then it is said that he set up a Kashmiri Pandit Information Centre. It is totally false, without any basis. What I had done was I had set up a sort of Information Centre, investigation centre. I combined all the agencies of the CBI, the IB, the BSFS, the CRPF, the local police and all these bodies, I made one group under my chairmanship and the moment the information came, we just went for raid and arrested a large number of people. You know very well the Rubiya case. At that time a large number of people were arrested in that connection. Lassa Koul's murder case was worked out and a large number of people were arrested in that connection. Then five IAF officers were murdered there, their culprits were found out and we arrested them. V. K. Ganjuls case was found out and we arrested the culprits. Mushrul Haq case was found out and action was taken. It is all these people, the arrested people who gave us the information on the entire network of subversion; whatever action was taken, it was taken on the basis of that information. Where did the Kashmiri Pandits come in? I am sorry, unless we face the reality, unless we face the truth in Kashmir, we are going to bungle, we are going to stumble from one blunder to another. And then it was pointed out that Mr. Jagmohan has gagged the press. I have been shouting, show me any notification under which I have gagged the press. The only point on which I took action was five criminal cases, against those who were publishing Pakistan Standard Time and who were giving their time weather reports and all our T. V. and radio programmes by Pakistan Standard Time. It was illegal. So I took action and I sent a complaint to the Court. A threat was published that within 24 hours all the Kashmiri Pandits should leave; otherwise they would be slaughtered.

Another publication was made in the newspapers that all non-Kashmiris

should leave within 48 years, otherwise their children would- be kidnapped. When such a publication appears, the administration will have to take action. Any administration worth the name will have to take action. So my submission is, let us be very clear as to what is happening in Kashmir. If we compromise with evil, we are going to give encouragement only to evil and that evil is going to recoil on us, on the nation as a whole it is hot going to recoil on Kashmir alone, (*time-bell*) There are many points to make but since you have rung the bell, I will not raise them. I have a constructive suggestion to make. I will not go beyond what you would permit me. I have given these five or six examples and I have twenty to thirty more. But I will not narrate them. I understand the limitation of time. The only question is how this can be tackled. It is no use making a complaint unless I can give you a concrete suggestion. The suggestion is in this very Bill, apart from what ever legal advice is avjiiabile to you, you must make a tribunal, and anyone giving false information, publishing false information, about Kashmir, a complaint against that can be made to that independent tribunal. That tribunal should sit at some calm and quiet place where people can go. and give evidence without any fear of being harmed. Even if it has to be held in camera, it should be done. After it is established-the type of examples that I have given you--that blatant lies have been spoken to mis- lead the nation, to demoralise the nation, then action should be taken. I am not suggesting any harsh action. The tribunal should publish their names in the newspapers with the request that no one should publish anything oh their behalf. I wanted to speak a few words about the truth. I will only give one example. We have heard things from both sides. I will give you one instance of it. In fact, when I was sitting here, I was hearing both sides referring to me. On that I am reminded of a small couplet.

इधर बेहयोगमा कुछ कम नहीं है,
उधर मशरूक हैं मेरी निगाहें ।

इधर बेहयोगमा कुछ कम नहीं है,
बड़ा मुश्किल है काश्मीर का सुलझना.

If you really want to solve the riddle to Kashmir, let us be very objective and truthful. I will give you one example. In 1988 Mahatma Gandhi's statum was to be put up in the High Court building. A new building had been constructed there. When Mahatma Gandhi was' assassinated, the urn came by that side and it was announced that we would have a statue in that very area. When the High Court Building came up, it was announced that the Chief Justice of India was invited to unveil the statue I would not like to take the time of the House going into details. Some people came there and said, "We will. not allow Mahatma Gandhi"s statue to be put up in Kashmir". And the Government surrendered, everybody surrendered, to the noise about it. And who were the people who were leading this agitation that Mahatma Gandhi's statue would not be allowed to be put up. If I say where they are now, I will be raising a controversy and I will not raise a controversy. But you can find out who they are, the people who led the agitation, where they are now. If we are compromising with such fundamental Principles can you solve the Kashmir Problem? While the Religious Premises Act has been extended all over India, the place where religion is most misused, Kashmir, you have never extended it to that place. No one has asked why what is good for 15 crore Muslims of India is not good for 40 lakh Muslims of Kashmir. What are you d?ing? We should under stand that, if you really want to solve the problem. I do not want to take more time on this since you have already rung the bell. But I have along story to tell the house and I will take some other opportunity for that. Thank you

3.00 P.M.

श्री फीफ आलम (बिहार) : मैडम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बार 4-5 मिनट में क्या बोलूँ, मैं यह सोच रहा हूँ।

मैडम, आप तो जानती ही हैं कि कश्मीर आज नफरत की आग में जल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे कश्मीर हो या पंजाब, तमिलनाडु हो या असम, हिन्दुस्तान के एक अटूट हिस्से हैं और दुनिया की कोई ताकत इन्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन, शर्त यह है कि हम वहाँ के लोगों को इसा की निगाहों से देखें और मुहब्बत की राहें अपनायें, नफरत की राहें नहीं। आज जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वह सब नफरत की वजह से हो रहा है। आपने जो यह कानून सदन में पेश किया है इसमें बहुत ही स्वीपिंग पावर दी जा रही है। धारा 2 में है कि :

" 'armed forces' means the military forces and the air forces operating as land forces and includes any other armed forces of the Union so operating; "

बतलाइये, जब यह कानून कश्मीर के लोगों के पास जायेगा कि साहब अब पुलिस ही नहीं, मिलिट्री ही नहीं बल्कि अब एयर फोर्स भी बम बरसायेगी तो उसका नतीजा क्या होगा ? ठीक है टैरोरिस्टों के खिलाफ कदम उठाइये, सख्त से सख्त कदम उठाइये। लेकिन जो बकसूर हैं, जो बेगुनाह हैं उन पर तो जुल्म मत ढाड़िये। लेकिन लगता है कि आज सोचने की ताकत पता नहीं कहाँ मफ्लुज हो गई है। इस पर मुझे एक शेर याद आता है :

"इन्कलाबाने ये नज्मे गुलिस्ता बदला है फुल तो मुरझा गये हैं कांटों पर बहर अ.ई।"

हर जगह लोग परेशान क्यों हैं। जिनको अपने देश से मुहब्बत है वह सब परेशान हैं। यह क्या हो रहा है ? आप जानते हैं कि हम फौजी ताकत के जरिये बगावत को तो कुचल सकते हैं लेकिन

जबवात को दबा नहीं सकते। हिन्दुस्तान की तारीख गवाह है, हिन्दुस्तान का इतिहास साक्षी है कि बल के जरिये हम कोई सोल्युशन नहीं कर सकते हैं। इस हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों ने राज किया लेकिन महात्मा गांधी, एक निहत्थे और कमजोर आदमी ने उनको जब चैलज किया और आजादी का नारा दिया तो अंग्रेजों की तोपें, उनकी बंदूकें, उनका एयर फोर्स सब खत्म हो गया। इसलिये कश्मीर और पंजाब, हमें फरक है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ हमें समझौता करना पड़ेगा, पोलिटिकल साल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम फौज के जरिये या पुलिस के जरिये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पंजाब को भी नहीं और कश्मीर को भी नहीं, यह हम समझ लेना चाहिये। वहाँ के जो लोकल लीग्स हैं, जो लोकल पीपुल हैं उनको इन सवगलों पर एदमाद दिलाकर, भरोसा दिलाकर उन्हें हमें देश की मुख्य धारा में लाना है। यह बात साफ जाहिर है।

You can not rule without their participation in it.

और जम्हूरियत में असेम्बली जरूरी है। इसके लिये कश्मीर में चुनाव कराना पड़ेगा। जिस तरीके से भी हो वहाँ पर असेंबली का चुनाव कराके वहाँ के लोगों को मौका देना है कि वह वहाँ अमनो-अमन कायम करें। हम दिल्ली से बैठकर यह नहीं कर सकते हैं। इसमें स्वीपिंग पावर दी गई है। मैडम, धारा 4 में कहा गया है कि :

"Any commissioned Officer, warrant officer, non commissioned officer or any other person of equivalent rank in the armed forces may, in a disturbed area,

* * *

(c) arrest, without warrant any person who has committed a cognizable offence or against a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit a cognizable offence and may use such force as may be necessary to effect the arrest;

(d) Enter and search, without warrant, any premises to make any such arrest as aforesaid or to recover any person believed to be wrong fully restrained or confined etc., less etc..."

और उसके बाद धारा 7 में है कि :

"No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted, except with the previous sanction of the Central Government, against any person in respect of anything done or purported to be done in exercise of the powers conferred by this Act."

अब हम इस तरह के कानून हम ला रहे हैं। हमने पंजाब में देखा है कि हम अटर फेल्योर हुए। फिर ये ही कानून हम काश्मीर में लादने जा रहे हैं तो फिर काश्मीर के लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देंगे कि आप तो हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं, आप अपना राज संभालिए, और फिर काश्मीरियों ने हमारे साथ इल्हाक का फैसला किया था। जब पाकिस्तान के कबाइलियों और पाकिस्तानी फौज ने काश्मीर पर हमला किया तो तवारीख गवाह है कि हिंदू मुसलमान दोनों भाई काश्मीर में शाना बशाना लड़े। उसके बाद हमारी फौज पहुंची। उन्होंने सेक्युलर हिन्दुस्तान का साथ दिया लेकिन अब क्या वजह है कि आज वे हमारे खिलाफ हैं। यह सोचने की बात है और मैं आप जानती हूँ कि **There is no effect without any cause.** मैं बहुत आश्चर्य के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र का नारा देकर हमको सिख भाइयों से अलग किया, काश्मीर के मुसलमान भाइयों से हमको अलग

किया। आज एक तरफ तो हम लोग हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में हम धर्म, भाषा, जाति-पाति और अपने मफाद के लिए हर तरह की बातें करते हैं जिससे मुल्क की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। आज मस्जिद और मन्दिर की बात करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों सभी ने भाई भाई का नारा देकर इस मुल्क के तिरंगे झंडे के तहत इस मुल्क को आजाद किया था। ये सब बातें उस वक्त कहाँ थीं। आज आजादी के बाद ये बातें क्यों पैदा हुईं। महज चंद वोटों की खातिर हम भाई का गला काटते हैं। ठीक है हमारी पार्टी आज ताकत में नहीं है, उसका हमें कोई गम नहीं है। लेकिन मुल्क तो एक रहे। मुल्क के सोचने वाले तो सोचें कि आखिर हम लोग देश को कहाँ ले जा रहे हैं। ये बातें देश को कहाँ ले जाएगी। क्या हिन्दुस्तान की हुकूमत शाह जकर के मुताबिक जमूना तक ही रहेगी। आज मुल्क को बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमारी आजादी खतरे में है, सालभियत खतरे में है और सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि हिन्दुस्तान कैसे कमजोर हो। तवारीख गवाह है कि हिन्दुस्तान पर जब भी बाहर का हमला हुआ उससे जितना नुकसान हुआ, उससे ज्यादा अपनों से हुआ बनिस्वत गैरों के और आज मुल्क को जितना नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं, धर्म के नाम पर मन्दिर मस्जिद के नाम पर उतना कोई दूसरा नहीं पहुंचा रहा है। मैं आप जानती हूँ कि मैं एक साफगो आदमी हूँ। एक भारतीय के नाते कह रहा हूँ। गुजिश्ता हफ्ते पार्लियामेंट में गुलाब नबी आजाद साहब जो एक जिम्मेदार आदमी हैं उन्होंने कहा कि बाप के सामने बंटी के

[श्री रफीक आलम]

साथ और शहीद के सामने बीबी के साथ जनाबिल जन्न किया गया । बताइये कोई भी खुदाय हन्सान कैसे बर्दाश्त करेगा । हम लोग क्या कर रहे हैं । अगर उन जवानों ने ऐसी हरकतों की न तो मैं गुलाम नबी आजाद साहब से कहूंगा कि जो रिपोर्ट उनके पास है वह आप प्रधान मंत्री जी को दे दें । वे तहकीकात करायें । ऐसे जवानों को सजा मिलनी चाहिए इसलिए कि इस तरह की हरकत करके वे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं । अपने शरीर की हवस को तो पूरा कर रहे हैं लेकिन एट० ए० कास्ट आफ द होल नेशन । ऐसे लोगों को सख्त सजाए दी जाए और यह अघा कानून नाफिज न किया जाए अहलु-बालिधा जो का जो रिजोल्यूशन हाउस में है मैं इसका समर्थन करता हूँ फिर हम लोग एक दूसरे की मोहब्बत की निगाह से देखें । यह मुल्क बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है । इसको हम फिर गुलाम न बनायें । इसके साथ मैं आपसे यह बात कहता हूँ कि सबको चाहिए कि मिलकर इस मुल्क को बनायें, मिल जुलकर इस मुल्क को बचायें । "शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती वासियों की मुक्ति प्रति में है ।"

[شری رفیق عالم (بہار) سہتم]

پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں جو آپ نے مجھے ہولنے کا موقع دیا۔ پہلے بار چار پانچ ملک میں کہا بولوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں۔

سہتم آپ تو جانتے ہیں کہ کشمیر آج نفرت کی آگ میں چل

رہا ہے۔ اسمیں کوئی دو رائے نہیں کہ چاہے کشمیر ہو یا پنجاب۔ تحمل ناپذو ہو یا آسام۔ ہندوستان کے ایک اتوت حصے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی طاقت انہوں ہم سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن شوق یہ ہے کہ ہم رہاں کے لوگوں کو انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں اور محبت کی راہیں اپنائیں نفرت کی راہیں نہیں۔ آج جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ سب نفرت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے جو یہ قانون سدن میں پیش کیا ہے اسمیں بہت ہی اسویولنگ اور دی جارہی ہیں۔ دھارا ۲ میں ہے کہ :

"Armed forces, means the military forces and the air forces sperating as land forces and includes any other armed forces of the Union so operating;"

بلائیو جب یہ قانون کشمیر کے لوگوں کے پاس جائے گا کہ صاحب اب پولیس ہی نہیں رہے گی۔ ہیکس ہی نہیں رہے گی۔ ہیکس اب ایئر فورس بھی بن بسائے گی تو اسکا نتیجہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹیڈورسٹوں کے خلاف قدم اٹھائیے۔ سخت سے سخت قدم اٹھائیے۔ لیکن جو بے قصور ہیں۔ جو بے گناہ ہیں۔ ان پر تو ظلم مت تھائیے۔ لیکن لکنا ہے کہ آج سوچنے کی طاقت کہاں پتہ نہیں مفلوج ہو گئی ہے۔ اس پر مجھے ایک شعر یا ا

انقلابات نے یوں نظم گاستان بدلا ہے۔
پہول تو مرجھا گئے ہیں کانٹوں پر بہار
آئی ہے۔

ہر جگہ لوگ پریشان کیوں
ہیں۔ جن کو اپنے دیس سے مصحت
ہے وہ سب پریشان ہیں۔ یہ کیا
ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم
فوجی طاقت کے ذریعہ بغاوت کو تو
کچل سکتے ہیں۔ لیکن جذبات
کو دیا نہیں سکتے۔ ہندوستان کی
تاریخ گواہ ہے ہندوستان کا اتہاس
ساکشی ہے۔ کہ ہل ذریعہ ہم کو ہی
سولیشن نہیں کر سکتے ہیں اس
ہندوستان پر انگریزوں نے راج کیا۔
لیکن سہاتما گاندھی۔ ایک نہتے اور
کمزور آنسی نے انکو جب چیلنج
کیا اور آزادی کا نعرہ دیا تو انگریزوں
کی تڑپیں۔ انکی بدن رفتیں انکا
اکر فورس سب ختم ہو گیا۔ اسلئے
کشمیر اور پنجاب میں ہمیں فخر
ہے یہ ہمارا حصہ ہے۔ لیکن وہاں
کے لوگوں کے ساتھ ہمیں سمجھوتہ
کرنا پڑے گا پولیٹیکل سوائیوشن نکالنا
پڑے گا۔ ہم فوج کے ذریعہ جا ابولیس
نے ذریعہ یہ پولیس کے ذریعہ کنٹرول
نہیں کر سکتے ہیں۔ پنجاب کو
بھی نہیں اور کشمیر کو بھی نہیں
یہ ہمیں سمجھ لینا چاہئے۔ وہاں
کے جو لوگ ایڈریس ہیں۔ جو لوگ
پریولنس میں انکو ان سوالوں پر
اعتماد دلاکر بھروسہ دلاکر انہیں ہمیں

دیس کی مدد دہارا میں لایا
یہ بات صاف ظاہر ہے۔

You cannot rule without
their participation in it.

اور جمہوریت میں اسمبلی
ضروری ہے اسکے لئے کشمیر میں
چنناؤ کرانا پڑے گا۔ جس طریقے سے
ہو وہاں پر اسمبلی کا چنناؤ
کرائے وہاں کے لوگوں کو موقع دینا
ہے کہ وہ وہاں امن وامان قائم
کریں۔ ہم دلی سے بیٹھکر یہ نہیں
کر سکتے ہیں اسمبلی اسرینگ پور
دی گئی ہیں میڈم دہارا چار میں
کہا گیا ہے کہ :

اور اسکے بعد دہارا سات میں
ہے کہ :

اب اس طرح کے قانون ہم
لڑھے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں
دیکھ کہ ہم اترو فیلیور ہوئے۔ پھر یہ
ہی قانون ہم کشمیر میں لانے چھا
رہے ہیں۔ تو پھر کشمیر کے لوگوں
کو ہم سمجھنے کا موقع نہیں
دینگے۔ کہ آپ تو ہندوستان کا حصہ
ہیں۔ آپ اپنا راج سنبھالیجے۔ اور
پھر کشمیر نے ہمارے ساتھ الحاقی

[شری رفیق عالم]

کا فیصلہ کیا تھا۔ سب پاکستان کے قبائلیوں اور پاکستان کو فوج نے کشمیر پر حملہ کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہندو مسلمان دونوں بھائی کشمیر میں شانہ بشانہ رہے۔ اسکے بعد ہماری فوج پہنچی۔ انہوں نے سکونگرو ہندوستان کا ساتھ دیا لیکن اب کہا وجہ ہے کہ آج وہ ہمارے خلاف ہیں۔ یہ سوچنے لگی بات ہے اور میڈم آپ جانتی ہیں

There is no effect without any cause.

میں بہت اُنور کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہارتہہ چندا پارٹی نے ہندو راشٹر کا نعرہ دیکر ہم کو سکھ بھائیوں سے الگ کیا۔ کشمیر میں مسلمان بھائیوں سے الگ کیا۔ آج ایک طرف تو ہم ہندوستان کی ایکٹنا اور ایکٹنا کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ہندوستان میں دھرم - بھاشا - ذات پات اور اہلے منہاں کھائے ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جس سے ملک کی ایکٹنا کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج مسجد اور مدر کی بات کرتے ہیں۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں - سہی نے بھائی بھائی کا نعرہ دیکر اس ملک کو تریگے جھنڈے کے تحت آزاد کرایا تھا۔ یہ سب باتیں اس وقت کہاں تھیں۔ آج آزادی کے بعد یہ باتیں کہوں پیدا ہیں۔ محض چند روٹیوں کی خاطر ہم بھائی کا کاتھ ہیں۔ تھوک ہے ہماری پارٹی آج طاقت میں نہیں ہے۔ اسکا ہمدوں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن ملک تو ایک رہے۔ ملک کے سوچنے والے تو سوچیں کہ آخر ہم لوگ

دیس کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں دیس کو کہاں لے جائیں گی۔ کہا ہندوستان کی حکومت شاہ ظفر کے مطابق صرف چھ ماہ تک ہی رہے گی۔ آج ملک کو بہت بڑی چٹوٹی ہے۔ آج ہماری آزادی خطرے میں ہے۔ سالمیت خطرے میں ہے۔ اور ساری دنیا کی نگاہوں لگی ہوئی ہیں۔ کہ ہندوستان کیسے کمزور ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان پر جب بھی باہر کا حملہ ہوا ہے اس سے چھٹا نقصان ہوا۔ اس سے زیادہ نقصان ایٹوں سے ہوا۔ ہندسہ غوروں کے۔ اور آج ملک کو چھٹا نقصان ہم لوگ پہنچا رہے ہیں۔ دھرم کے نام پر۔ مدر مسجد کے نام پر اٹنا کوئی دوسرا نہیں پہنچا رہا ہے۔ میڈم آپ جانتی ہیں کہ میں ایک صاف گو آدمی ہوں۔ ایک بہارتہہ کے ناطے کہہ رہا ہوں۔ گڈسٹہ ہفتہ پارلیمنٹ میں غلام نہیں آزاد صاحب جو ایک ڈسندر آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باپ نے سامنے بیٹی کے ساتھ اور شوہر کے سامنے بیوی کے ساتھ زنا بدچہر کہا تھا۔ بتائیے کوئی بھری خون دار انسان کیسے برداشت کرے گا۔ ہم لوگ کہا کر رہے ہیں۔ اگر ان جوانوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو میں غلام نہیں آزاد صاحب سے کہوں گا کہ پورے انکے پاس ہے وہ آپ پر دھان منتری جی کو دے دیں۔ وہ تصدیقات کرائیں۔ ایسے جوانوں کو سزا ملنی چاہئے اسلئے کہ اس طرح کی حرکت کر کے وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے شوہر کی ہوس کو تو وہ پورا کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں اے کامے اُن کی نیشن۔

ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائیں اور یہ اذہما قانون نائنڈ نہ کہہ جائے۔ اہلووالیا جس کا جو ڈزولیشن ہاؤس میں ہے میں اسے سمجھتا ہوں۔ پھر ہم لوگ ایک دو گھنٹے کو مکتوبات کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ ملک بہت مشکل سے آزاد ہوا ہے۔ اسکو ہم پھر غلام نہ بنائیں۔ اسکو ساتھ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیکر چاہئے کہ مل جل کر اس ملک کو بنائیں۔ مل جل کر اس ملک کو بچائیں۔ شکنجی بھی شانتی بھی بہکتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے واسطوں کی سرکشی پوری ہے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN:
I have no other names of speakers. I will call Mr. Ahluwalia, the Mover of the Resolution, to reply. But I would request him to be very brief. Mr. Ahluwalia, you have already taken more than an hour while moving the Resolution. So, please take 10 minutes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
(बिहार) : महोदया, जो रेजोल्यूशन मैंने मूव किया है, उस पर सदन में सदस्यों ने पांच घंटे की बहस चलाई। तो मुझको जवाब देने का थोड़ा मौका.....
(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: It was altogether. We have lot of other things also and not only your Resolution.

SHRI S. S. AHLUWALIA:
But it is a very important matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
I know it is very important.

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Some of the Members of the Treasury Benches have blamed me saying that I am making false allegations against the Jawans. So, I

have to clarify my position. I have to tell the House about my arguments and about my logic against this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
But there is a limitation of time. The total time allotted for the whole business was four hours. We had taken five hours and six minutes earlier and today we took about an hour. So, I would request you to reply in 10 minutes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : दस मिनट्स में तो.....

उपसभापति : आप शुरू तो कीजिए। दस मिनट में ही खत्म कीजिए। We have very heavy business.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैंने जिस रिपोर्ट को मूव करने के लिए कश्मीर के इन हालातों की सारी चीजें आपके सामने और सदन के सामने रखी हैं, उस रिपोर्ट को लिखने वाली प्रोमिला लूईसी, जो जर्नेलिस्ट हैं, नंदिता हुक्कर, एडवोकेट, सुहासिनी मुले, फ्राम मेकर और सकीना हसन, फार्मर प्रिन्सिपल, नवाकडाल जिम्स कॉलेज, श्रीनगर, हैं। इन्होंने जो अपनी करीब अस्सी पेज की रिपोर्ट में जो कुछ दिया है, जो हालात कश्मीर में हैं और जो कुछ वहाँ के लोगों के साथ दर्ता किया गया है, उसको जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, मैं आपको सब बतान करता हूँ कि जिस दिन मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी, तो मैं तीन रात सो नहीं सका था।

मैं सो नहीं सका, उसका कारण क्या था कि मुझे लग रहा था कि मैं भी उस मुल्क का एक नागरिक हूँ जहाँ पर वह वह शिवत नाम का इस तरह जो नंगा नाच हो रहा है और मैं उसी हिंदुस्तान के सदन का सदस्य हूँ और मुझमें यह आवाज नहीं है, जमीर तो चुका है या मर चुका है—मैं उस आवाज को उठा नहीं सक रहा हूँ।

यह रिपोर्ट पढ़कर मुझे बहुत ही दुःख हुआ और अफसोस हुआ, जिसके कारण मैं यह डिसअप्रूवल का मोशन लेकर आया हूँ।

महोदया, जो लाठर साहब ने मुझे कहा कि इस तरह से जवानों के खिलाफ या

[श्री सुरन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]
 जवानों की बर्दी के खिलाफ आपको नहीं कुछ कहना चाहिए था, मैं उनसे सोलह आने सहमत हूँ। मैंने जवानों को या जवानों की बर्दी पर कोई भी कलंक लगाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैं क ऐसे परिवार से आता हूँ जिसका पूरा परिवार ही आर्मी में रहा है। मेरे माता, मेरे मामा, सेकण्ड वर्ल्ड वॉर से ही आर्मी में रहे और मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, मैं इंडियन मिलिटरी एकाडमी में सिलेक्ट हुआ था, पर मेरी मां ने इसलिए रोका क्योंकि उसने अपनी मां को रोते हुए देखा था, उनके पिता जी—हमारी मां के पिताजी और हमारी मां के भाई घर वापस नहीं हो सकते थे और जंग-मैदान में लड़ते-लड़ते वह लोग जेलों में बंद थे और मुझे रोका लिया था।

मैं इन चीजों को समझता हूँ। मैं इस पर कलंक लगा नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ जिसकी कुर्बानियाँ हैं और जिसका क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर यह कहता हूँ कि मैं उन पर कलंक नहीं लगाना चाहता हूँ, पर जो वाक्यात हुए हैं, उनको अस्वीकार भी नहीं कर सकता जो घटनायें घटी हैं, उससे दूर भी नहीं हट सकता। मैं यह पूरे आर्मी जवानों पर नहीं लगाता, पर कहीं-कहीं जहाँ टुकड़ियाँ हुई हैं, वहाँ एक्शन भी हुए हैं।

अगर यह बातें झूठ हैं मैं या तो जैसा कि जगमोहन साहव ने अभी कहा कि साहव एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए—मेरे सामने एक अजबार है और यह लिखता है कि—

“Terrorist - Police Nexus in Jammu and Kashmir.”

तो इनको ट्रिब्यूनल में बुलाइये कि यह क्यों विश्वास करते हैं? या तो कहिए कि यह सच है या कहिए कि झूठ है, तो इन पर एक्शन लिया जाए। यह पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से छाप-छाप करके बात की जाती है और था फिर यह जो रिपोर्ट है—इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव की इसको चैलेंज कर जिस तरह से विजय मोहन रेड्डी जी ने कहा कि साहव, अगर

यह झूठ है—झूठ बात इन्होंने कही है, तो इनका कोर्ट मार्शल जरूर होना चाहिए। पर उसके पहले इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव की रिपोर्ट आपने इन्क्वायरी कराई है, आपने देखा है, मैंने तो अपनी आवाज उठाई है। मैंने तो अपनी आवाज बहरी सरकार को सुनाने की कोशिश की है कि यह गलतियाँ हो रही हैं। आप उसमें क्या कह रहे हैं? आप कहना चाहते हैं महोदया, बड़ा आश्चर्य लगता है अभी जगमोहन साहव कह रहे थे कि कहीं मुस्लिम और गैर-मुस्लिम अफसरों का सवाल आ गया था और इन्होंने बताया कि कुरैशी साहव को इन्होंने सैक्योरिटी एडवाइजर बनाया और एक नई पोस्ट क्रिएट की वहाँ पर भी एक मुसलमान आफिसर लगाया। मैं यह बात नहीं उठाता। अगर यह नहीं उठते तो। महोदया मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या काश्मीर का मुस्लिम चीफ़ सेक्टरों नहीं हटाया गया था? क्या यह झूठ है? अगर झूठ है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। दूसरा क्या मुस्लिम डाइरेक्टर जनरल पुलिस रिप्लेस नहीं किया गया था? क्या आठ इंस्पेक्टर जनरल आफ़ पुलिस में सिर्फ़ 8 इंस्पेक्टर जनरल आफ़ पुलिस जो लाए गए उसमें 6 नान-मुस्लिम थे और सिर्फ़ 2 मुस्लिम थे क्या इस तरह इसको चैन नहीं किया गया था? अगर किया गया था तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आज हालत यह है कि वहाँ जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं आज हम ऐसे बिल क्यों ला रहे हैं? वहाँ पर 900 officers, including 23 SPs and DSPs are reported to have either sought premature retirement or proceeded on long leave. क्यों क्या कारण है? महोदया ऐसी रिजेटमेंट लोगों में क्यों है मैं यह जानना चाहता हूँ? हमारा भात सरकार का भरोसा क्या जम्मू-काश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से उठ गया है? जम्मू-काश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें विश्वास नहीं रहा है। वहाँ की पुलिस हो चाहे आई०पी०एस० आफिसर हो चाहे आई०पी०एस० आफिसर हो या वहाँ का कांस्टेबल हो मुझे सुनने में आया है कि वहाँ के जो आफिसर हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके

हाथ में आर्म्ज एंड एम्युनिशन नहीं रहते हैं। कोई वी० आई० पी० अगर इम्यूनेट होती है तो कोई भी कश्मीरी आफ्रिसर के पास में उसका आर्म नहीं रखा जाता उसको डिसआर्म करके उसके हाथ में छड़ी पकड़ा दी गई है ? अगर यह है तो यह बड़ी ही शर्मनाक बात है। महोदय, हम इस तरह का अविश्वास रख करके कभी भी काश्मीरियों का दिल नहीं जीत सकते काश्मीरी हिन्दुस्तानी हैं हिन्दुस्तानी था और हिन्दुस्तानी रहेंगे पर हम जवर्दस्ती उन्हें पाकिस्तानी का धब्बा लगा रहे हैं। इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए यह हमारी कोशिश है कि हम इस विल को खिलाफत करते हैं। महोदय, 5 जुलाई को यह विल लाया गया है आर्डिनेंस लाया गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 5 जुलाई को हड़बड़ी में ऐसा यह आर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी ? पता नहीं शायद वहाँ क्या हो रहा था ? कौसी घटना घट रही थी ? पता नहीं, शायद पार्लियामेंट का सेशन आने में वहाँ बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ घटनाएँ ऐसी हो जातीं और काश्मीर हिन्दुस्तान से निकल जाता ? ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, ऐसा सोच कर, ऐसा विचार कर, इन आर्डिनेंस को हड़बड़ी में पास किया गया जो कि 22 जून को आलरोडी सम्मन इश्यू हो चुका था।

महोदय, मैं आपके सामने एक ऐसी चीज पेश करना चाहता हूँ कि 14 जुलाई को एक हेलीकाप्टर गायब हो गया। उस हेलीकाप्टर में हमारे राजोरी डिवीजन के मेजर जनरल सुदर्शन सिंह, जनरल आफ्रिसर कर्मांडिंग, राजोरी डिवीजन के ब्रिगेडियर डीज्जर्सिंह, कर्नल आयल्लुपी० सिंह और व अदर पायलट गायब हो गए। आश्चर्य की बात है, महोदय, अखबारों में, टी० व उल्ल में और रेडियो में यह कहा गया कि यह रौटीन चैक पर वहाँ जा रहे थे। पर मेरी जो खबर कि उनका कर्मांडिंग आफ्रिसर राजोरी डिवीजन के एक यूनिट की हेंडवाल के मैच को देखने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए जा रहा था। हेंडवाल मैच

विटनेस करने के लिए जा रहे थे और उसमें हमारा नुकसान क्या हुआ ? राडार छराब होने के बावजूद उस हेलीकाप्टर से इन्होंने रिस्क ली सिर्फ हेंडवाल मैच देखने के लिए और उसमें जी०ओ०सी०, कर्मांडर और एक इंटेलेजेंस आफ्रिसर—ये तीनों जा रहे थे। वह जहाज पीर पांचाल पहाड़ क्रॉस करने के बाद टकरा गया और गिर गया। इन्होंने राजोरी से टेक ऑफ किया था और पिडीगची जाना था। पिडीगली न पहुँचकर वीर पकेचाल जंगल पार करने के बाद यह जहाज गिर गया महोदय, अगर सिचुएशन इतनी सीरियस थी तो वहाँ हेंडवाल, बास्केटवाल और वालीवाल के मैच भी चल रहे हैं और इधर दिल्ली में आर्डिनेंस भी पास किए जा रहे हैं उन्हें पावर देने के लिए। आप आर्डिनेंस क्यों पास कर रहे हैं ? आप एक्स्ट्रीमिस्ट्स को रोकना चाहते हैं, उनके मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। आप कहते हैं कि पहाड़ों से बर्फ गल रही है अब रास्ता खुल रहा है, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर हमारी आर्मों के पास पहले ही इतनी ताकत है कि यदि कोई घुस-पैठिया घुस रहा है तो उसे रोकने के लिए (समय की घंटी) किसी से परमीशन लेने की जरूरत पड़ती है ? महोदय, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसे सिर्फ एक वार्निंग देनी पड़ती है और वार्निंग का जवाब नहीं देता है तो उसका जवाब गोली होती है। महोदय, मैं पुछता हूँ कि इतने ए० के० 47 इतने ए० के० 94 और इतने ग्रैनेड और इतने आर्म्स-एम्युनिशन क्या पैराट्रूप से आ रहे हैं या कोई जहाज में लादकर ले आता है। हमारी जो एक्चुअल लाइन आफ्र कंट्रोल है, उसके ऊपर हमारे जवान तैनात हैं। अगर कड़ाई करने की जरूरत है तो काश्मीर घाटी में जरूरत नहीं है। कड़ाई करने की जरूरत तो सरहदों में है। उन सरहदों में कड़ाई नहीं हो रही है। वहाँ घटनाएँ तो घट रही हैं। हम जब दबाव डालते हैं सिविलियन पर, हम जब उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं तो इस तरह की घटनाएँ जोकि इस रिपोर्ट में लिखी हैं, ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो वह मानसिक रूप से सरकार का विरोधी हो जाता है। मानसिक रूप से सरकार के किसी कदम की सहायता

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया]

करता है। . . . (समय की घंटी) महोदया इन चीजों को सोचने की जरूरत है।

उपसभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करेंगे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : मैं यह भाषण नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ।

उपसभापति : हाँ, अपना जवाब ही खत्म कर दीजिए क्योंकि आप भाषण तो एक घंटा दे चुके हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : महोदया, यहाँ वचन बड़े दिए जाते हैं, बहुत एग्जोरेंस दिए जाते हैं। मैंने इसके पहले भी 18 मई . . . (व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, आपकी इजाजत से मैं एक एकमप्लेनेशन पूछना चाहता हूँ अपनी जानकारी के लिए। महोदया, मैं आपके माध्यम से श्री ग्रहलुवालिया जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पंजाब में भी इसी तरह का कानून लाया गया था? अगर लाया गया है तो कब लाया गया था? क्या उस कानून के रहते वहाँ पर अफसरों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ शिकायतें हुई हैं? अगर हुई तो क्या कोई कार्यवाही की गयी? जैसी कि कार्यवाही, अभी मनने में आई है, काश्मीर में गवर्नर ने की, क्या इस तरह की कोई कार्यवाही पंजाब में भी की गयी या नहीं?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : महोदया, मैं अगर बूटा सिंह होता तो इसका जवाब जरूर देना। पर मेरा नाम सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया है। मैं कभी गृह मंत्री नहीं रहा हूँ। मुझे इन चीजों का पता नहीं और जायसवाल जी शायद आप इस सदन में उस दिन उपस्थित नहीं थे जित दिन मैंने आपके प्रधान मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के एक भाषण को कोट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि: "ज्यादा मत पाउडर, ज्यादा बैनट और ज्यादा बुलेट देकर बदरहूड नहीं लाया जा

सकता।" यह उनका भाषण है, मेरा नहीं। मैंने उनके भाषण की बात कही है, उनके दिल के गुबारों की बात कही है। अगर आपको मौका लगे तो 14-15 मार्च, 1988 में 59वाँ एम्बेडमेंट जो पंजाब के ऊपर था आप उसकी डिबेट पढ़ लेना। आपके मंत्री जी ने, आपके साथी जो बैठते हैं, आपके नेता ने क्या-क्या वक्तव्य रखे थे, उसको अगर आप पढ़ लें और उसके बाद अगर आप प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।

उसके बाद आप मुझसे ऐसा प्रश्न करें तो मैं जवाब जरूर दूंगा। . . . (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो गृह मंत्री नहीं था।

श्री वीरेन जे० शाह (महाराष्ट्र) : जैसी आपको जम्मू-काश्मीर की जानकारी है, पंजाब की भी होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : मैं तो उन्हीं की तरह एक सदस्य था।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मैं खाली यह कहना चाहता था कि जिस तरह से आज भाषण हो रहे हैं, मेरी अपनी निजी राय है कि पंजाब और काश्मीर को पार्टी-बाजी में नहीं फसाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, उसमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल बदल गए हैं और जो कुछ पंजाब में हुआ या काश्मीर में हुआ, उससे आपका कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए मैंने यह सवाल किया।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : वैं, महोदया,

उपसभापति : अब आप कृपया बैठ जाइए। मुझे मंत्री जी को भी बुलाना है और चार बजे मुझे यह खत्म करना है। मंत्री जी भी आधा-पीना घंटा लेंगे ही। इसलिए आप कृपया बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : महोदया; यह जम्मू-काश्मीर का मामला है

उपसभापति: मैं जानती हूँ, जम्मू-कश्मीर का मामला है। लेकिन मंत्री जी को भी जवाब देना है। आप एक घंटा बोलें, पांच घंटे दूसरे सदस्य बोलें और अब आधा घंटा तो मंत्री जी को भी जवाब देने दीजिए, अब इतनी बातें कही गई हैं। कृपया बैठ जाइए। थैंक यू।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : नहीं, अगर आप नहीं बोलने देंगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपसभापति: देखिए, यह जुमला आपका,

I want to raise an objection that आप नहीं बोलने देंगी। आपका टाईम नहीं रहा, इसलिए मैं आपको नहीं बोलने देती। आप बैठ जाइए, आपका समय नहीं है। ... (व्यवधान) ... मैंने आपको एक घंटा एलाउ किया, वह आपका समय नहीं था, उसके बावजूद मैंने एलाउ किया। ... (व्यवधान) आप बहस मत कीजिए। मैंने दो एक्सट्रा काँग्रेस के मेम्बरों को एलाउ किया, जिनका टाईम खत्म हो गया था। इसलिए आप यह आइंदा एलोगेशन लगाने से पहले सोच लीजिएगा।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मेरी बात तो खत्म होन दीजिए।

उपसभापति: नहीं, खत्म हो गई आपकी बात। आपने जो मुझसे कहा कि मैं नहीं बोलने दूंगी तो अब मैं नहीं बोलने दूंगी। ... (व्यवधान) ... मैंने कहा, आपको मैं नहीं बोलने दूंगी, आपका टाईम खत्म हो गया।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैंने यह मोशन मूव किया है और इस मोशन पर बहस हुई है। अब मेरा राइट है बनना। उपका जवाब देना अगर आप नहीं करने देती तो मैं समझता हूँ कि उनका भी राइट नहीं है जवाब देने।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have given your answer and you have taken enough time of the House.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You are wrong in this. You are unnecessarily stretching my right...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have said that I have given you enough time. Do not argue. You have spoken for more than one hour before. Over and above the party's time I have given so much time. So, please do not argue.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मेडम, अच्छा आप रुलिंग दें कि मोशन मूव करने वाले का राइट टू रेप्लाय और मोशन मूव करने का टाईम पार्टी के टाईम में होता है। आप लिखिए पहले।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have given you time to reply. You strated at 3. 10 and now it is 3. 25. In my opinion the time is sufficient for your reply. Please take your seat. (Interruptions).

SHRI S. S. AHLUWALIA: What is your ruling? You give your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You aske for my ruling and I have given my ruling.

SHRI VIREN J. SHAH: Can any hon. Member describe the Chair and directly say that you are wrong and repeat that you are wrong? Is it within the parliamentary practice? Is it an acceptable parliamentary practice?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think it is becoming so. Every day Members ask for a ruling and when I give a ruling

SHRI S. S. AHLUWALIA: If there is no provision for the mover of the motion to reply, why are we moving the motion (Interruptions). I have got the right to reply, but you are not allowing me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can tell you that I have allowed you.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You have not allowed me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is wrong with you ? I allowed you and please take your seat. I won't allow you.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Is there any time specifical for this? Where is it ? Show me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the time is specified and it is finished now.

SHRI VIREN J. SHAH: When you mentioned that it is becoming a practice it is a ruling that the Chair could be attacked and accused of being wrong. I would submit with the greatest respect to the Hon. House to please reconsider and do not make it a part of the proceeding that any Member can get up and tell the Chair that you are wrong. I think we should not allow this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been happening in the House. You are an old Memer. You have been in this House before.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
कीरेन शाह जी, आपको समय में आए; तब बोलिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
May I inform Mr. Ahluwalia that the total time allotted by the Business Advisory Committee was 4 hours including your Resolution, reply and the reply of the Minister. Now that time is exceeded five hours and more. So please take your seat.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I will be finishing within five minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you withdraw all the allegations

that you have made, then I will permit you. Otherwise I am not going to permit you.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I have no complaint against you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no question of a complaint. You said many times, "You are wrong". Withdraw it and then I will allow you five minutes.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I withdraw it.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now speak for five minutes and" not more than that. No ten minutes. Only five minutes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
पांच मिनट तो ऐसे ही खराब कर दिए आपने :

महोदया, मैंने इसके पहले भी 18 मई का एक वायरलेस मैसेज पढ़कर सुनाया था और इस सदन में होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था जिसमें वह मैसेज "बडस्गाम" की एक घटना के ऊपर था जहां लिखा था .

This was a message to SP PCR Srinagar from I/c APCR Srinagar, No. 19/2823/APCR dated 18-5-90

इसमें लिखा हुआ था :

"During the intervening night of 17/18-5-90, bus No. 137-1/F carrying 27 persons of a bartt (marriage party) was stopped near Badsgam crossing about 2330 hours by a BSF patrolling party. The BSF opened indiscriminate firing upon the bus resulting in instant death of one Abdullah s/o Gani Malik r/o Lissar, serious injuries to the bridegroom besides eight others. Followed by this the bride and the bride-maid were gang-raped by the BSF. Bride was taken away by them and the bride-maid was left behind. Bus has been removed to DPL Anantan and 78 bullet hole marks".

महोदया, मंत्री महोदय ने एग्जोरेंस दी थी कि इस पर इन्क्वायरी होगी और इन्क्वायरी करके हम बताएंगे, पर आज तक उस पर नीरव बैठे हुए हैं। महोदया, उस के बाद 6 अगस्त को: BSF men now down thirteen. 13 आदमी जो सो रहे थे उन पर गोलियां चलाई गईं और उन्हें मार डाला गया और उस पर DIG Kashmir Range, Mr. Razak Alam, who visited the spot after the incident last night told pressmen that a case of murder and arson has been registered against the Border Security Force.

अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो इन अखबारों के खिलाफ या इन अफसरों के खिलाफ, जो खुद ब्यान देते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है ?

महोदया, इसके पहले भी मैं इस सदन को कह चुका हूँ कि ... (समय की घंटी) ... पांच मिनट नहीं हुए मंडम, इस सरकार की जो कोशिश है वह नाकाम है होती रही। 12 मार्च को आल पार्टी पैनल आन कश्मीर हुआ। उसमें जार्ज फनाडीज जी को कश्मीर अफेयसी का इंचार्ज बनाया गया और उसमें सब पार्टियों को सम्बन्ध लिए गए—

Shri Surendra Mohan of the National Front, Shri Ghulam Rasool Kar of Congress, Shri Kedar Nath Sahni of BJP, Shri Farooqi of CPI, Shri Saifuddin Chbudhury of CPI (M) and Shri P. L. Handoo of the National Conference.

पर दुर्भाग्य है कि 12 सप्ते से लेकर 26 सप्ते के अन्दर यह पैनल और मिनिस्टर इंचार्ज आन कश्मीर अफेयस सारे के सारे हटा दिए गए। रिजल्ट क्या हुआ ? रिजल्ट हुआ जीरो। और यही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो खुद कहते हैं कि कहते हैं कह रहा हूँ इसलिए कि उस दिन आपत्ति उठी थी, वे कहते हैं . . . (व्यवधान)

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद अहलुवालिया जी ।

उपसभापति : जो भी कहना है जल्दी कह दीजिए, एक मिनट रह गया है ।

श्री हरबेन्द्र सिंह हसर्पात (पंजाब) : शुरू करेंगे उसके बाद एक मिनट ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I have to finish it today. No joke about it. It is a very serious discussion. It cannot go on like this.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, यह खुद कहते हैं कि मैंने यह प्लान किया और यह जो आपत्तियां रोज उठती हैं, मैं आज से शपथ लेता हूँ कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को कभी भी गलत नाम से संशोधित नहीं करूंगा। मैं उनको जब भी सम्बोधन करूंगा जरूर करूंगा— इज्जत मन्नाब, आली जनाब, हुजूर, फौजे गजूर, दान अकबालहू, सिकन्दर बख्त, प्रात स्मरणीय, मध्याह्न वन्दनीय, संध्या अर्चनीय, महामहिम, मर्यादा राजा पुष्प-तुल्याषु, श्री चरणेशु, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह मारीच ।

SHRI IAGDISH PRASAD MATHUR (UTTAR PRADESH): Point of order ----- (Interruptions)

कम से कम उसको निकाल दीजिये— प्रात स्मरणीय (न) . . .

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): What is this nonsense?

.... (Interruptions)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Have- you finished your reply ? Your five minutes are over.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am coming. One minute, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I allowed you enough time, please.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह कह रहा हूँ कि इतने दिन से . . . (व्यवधान) कभी कश्मीर का मिनिस्टर

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]
 बनाया जाता है, कभी हटाया जाता है, कभी पावर दिए जाते हैं और कभी वापिस लिए जाते हैं और कितने दिन कितनी पावर चाहिये वह एक साथ लिस्ट बनाकर दे दीजिए और उसके बाद . . . (व्यवधान)

उपसभापति : बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब दीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हम और आप क्या चाहते हैं ? कश्मीर में और कितनी हत्याएं करवायेंगे ? कश्मीर में कितने अत्याचार करवायेंगे ? आप पूछिए (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : उपसभापति महोदया, कश्मीर जैसे मामलों पर तमाम माननीय सदस्यों ने जितनी गंभीर राय दी है और मैं समझता हूँ कि उतनी ही गंभीरता के साथ अपनी राय से भी जुड़े हुए हैं। यह सही है कि कश्मीर के ऊपर अगर कोई बहस चलती हो तो इसमें इस देश की आजादी से पहले के कश्मीर को जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी मूल्यांकन कश्मीर की आज की घटना के बारे में हम करते हैं तो वह भी याद करना होगा कि इन कश्मीरियों ने किस तरह से अपना सीना अड़ा करके और जो एक नया देश बना था, जहाँ बड़े लुभावने सपने दिखाए जा रहे थे वहाँ ना जाकर अपनी सरहद की रक्षा की और इस देश के लिए गौरव स्थापित किया।

उपसभापति महोदया, वह सही है कि 1947 का कश्मीर जिसने वार सहा। 1965 का और 1972 का जहाँ हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के अपनी सरहद की रक्षा की और पाकिस्तानियों से जोरदार मुकाबला किया। हम तो आजादी के बाद पैदा हुए लोग हैं, इसलिए उसके बावजूद भी जितना कश्मीर को जानने का मौका मिला है, वह पुछ और गजौरी का इलाका जहाँ जाने और देखने का मौका मिला है। लोगों ने कहा कि आज हमारे ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं कि हम पाकिस्तानी हो गए हैं तो वह खुद अपना मुह आयने में जाकरके देख लें। हकीकत है, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने, जब

जंग हुआ था अत्याचारियों को और पाकिस्तानियों को झेला है जब हमारे घर में आकर के हमारी बहू-बेटियों के साथ उनके इज्जत से खिलवाड़ करते थे। लेकिन आज का कश्मीर, जहाँ के अत्याचार के बारे में एक से एक कहानियाँ कही जा रही हैं, हकीकत है कि आज का कश्मीर वह देश का जो ताज था उसके ऊपर कही न कही धूल जम गयी है और इसका जिम्मेदार कौन होगा ? यह बहस का मुद्दा भले ही न बनें लेकिन जिसने अपने शासनकाल में जो गलतियाँ की हैं इस शासनकाल में वह गलतियाँ नहीं दोहराई जायें तो इसकी तरफ जो इशारा किया जाता है तो इसको हम बाकियदा खुले हृदय से स्वीकार करने को तैयार हैं लेकिन आज के जो हालात हुये हैं, कल जो घटना हुई है, उससे आख मूढ़ लने, बन्द कर लेने से भी काम नहीं चलेगा हमारे मित्र हैं अहलुवालिया जी, और जितनी गंभीरता से सवालियों को उठाया और उतने ही हल्के ढंग से अपने सवालियों को खत्म किया, यह मुझे अफसोस है। उन्होंने अत्याचार के बारे में जो सवाल उठाये हैं उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जनता दल ने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं था ? मैनिफेस्टो में सवाल अगर नहीं जोड़े जाते हैं तो उससे जो इस देश के हालात हैं उससे अगर कोई कहे कि हालात बदल गये थे और आज हालात खराब हो गये हैं मैं कहना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो में बहुत सारे सवाल जोड़े जाते हैं और उरा सवाल को जोड़े जाने से ज्यादा जरूरी था कि कश्मीर की हालत क्या थी ?

कश्मीर की हालत इस सरकार के समय में नहीं बदली है। जिस सवाल पर लोग तोहमत लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि वह . . . (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): The question is not of manifesto. That was never debated. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt. I think the Minister did not interrupt any Member who made any allegation. He has the right to reply

approval of President's

article 356 in relation
to J&K

श्री पुबोध कान्त सहाब : उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इन तबाल पर नहीं बोले। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री श्री मुफती मोहम्मद सईद की बेटों को अगर उन लोगों ने अगुवा नहीं किया होता तो शायद हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं चलता कि कश्मीर की हालत क्या है। उस घटना से कश्मीर की हालत का पता चला और आतंकवादियों ने जो अपनी योजना बनाई थी कि आहिस्ता-आहिस्ता कश्मीर को हिंदुस्तान की सरहदे से तोड़कर बाहर ले जाएं, उसकी तरफ देश चौकल्ला हुआ और देश की 80 करोड़ जनता ने कश्मीर के साथ अपने को जोड़ने का काम किया जब कि पिछली सरकार के रेजिमा में आन्ध्र-मूंदकर कश्मीर की स्थिति पर परदा डाल दिया गया था और वहाँ के नेतृत्व के साथ इस तरह बिलवाड़ किया गया कि आज कश्मीर में कोई ऐसा नेता नहीं है : जिसके द्वारा वहाँ की जनता की भावनाओं को समाज के सामने लाया जा सके। उसी का नतीजा है कि हम आज पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत वहाँ पर सरकार का अधिपत्य, सरकार की ऐशोरिटी को कम करना चाहते हैं।

उपसभापति महोदया, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो-तीन गवर्नर जो वहाँ रहे उन्होंने हम से अपनी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर आज के दिन कश्मीर के बारे में फ्रैमला नहीं लिया गया तो कल का दिन बहुत लेट हो जाएगा। यह उन्होंने अप्रैल में कहा था और इस सरकार को तमाम हालतों से अज्ञात कराया था। उसके बाद लगातार सरकार को तमाम घटनाओं की रिपोर्ट मिलती रही है लेकिन आज जो वहाँ पर दो-तीन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जो चर्चा हुई है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिलिटेंट्स का जो तरीका रहा है तथा बी०वी०सी० के सामने उन्हें बनाबटी तरीके से पेश किया गया कि महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। माननीय सदस्य अहलुवालिया जी ने जो कहा है कि घटना हुई है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस सिलसिले

में 3 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। 32 ऐसे केस मिक्थोरिटी पर्सनल के खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं और कोर्ट मार्शल आदि प्रोसीडिंग्स उन पर की जा रही हैं और दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इस प्रकार के जो भी केसेज हुए हैं सरकार ने अखिलंब उनको रजिस्टर किया है और कार्यवाही कर रही है। महोदया, इस किसी चीज पर परदा नहीं डालना चाहते हैं। कोई सिक्थोरिटी पर्सनल अगर महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करता है तो उसको नहीं बखशा जाएगा लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई गुलाम नबी आजाद, जो संसद में काफी दिनों से हैं, उन्होंने कहा कि सैकड़ों आर्मी के जवानों ने इन घटनाओं में हिस्सा लिया। यह शर्म की बात है। ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं कि उन्हें सैकड़ों की तादाद में गिना जाए। अगर एकाध कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो उससे इस देश की फ्रॉज पर कलंक लगाना या उन पर अंगुली उठाना और यह कह देना कि वहाँ हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना बात होगी।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ की जो हालत है वह खराब है लेकिन आज अगर पाकिस्तान के साथ वार नहीं हो रहा है तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि हम श्रीनगर में सेमी-वार लड़ रहे हैं और उससे मुकाबला कर रहे हैं। आतंकवादी लोग शहरी इलाकों में घुसकर पुलिस पर्सनल पर फ्रॉयर करते हैं। अगर पुलिस पर्सनल जवाब में फ्रॉयरिंग करता है तो एक इनोसेंट मारा जाता है और उससे पूरा शहर बाहर निकल आता है। यह आतंकवादियों का पार्ट ऑफ दि स्ट्रेटेजी है और उसके शिकार होकर हम भावनाओं में बह जाते हैं। आज की घटना जिस पर बहस चल रही है कि तीन एयर-फोर्स के पदाधिकारियों को उठाकर ले गए और मार दिया, आज के समाचार-पत्रों में इस घटना का जिक्र है। सत्य है बहुत सीमा तक, लेकिन जितन

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

सत्य होना चाहिए उससे कहीं परे है। यह सही था कि एयर फोर्स के तीन छोटे कर्मचारी जो मशालची होते हैं, वे बाजार में कुछ खरीद का काम करने जा रहे थे। एक हरे रंग की मैटाडोर उस तरफ से आई और उनको वे कब्जे में करके वे जाना चाहते थे। उसमें से एक भाग गया, दो को वह पकड़कर ले गए। एक नाले के किनारे गिरा और जड़मी हालत में बैरक लौटकर आया। लेकिन यह हो रहा है कि जो जिन्दा थे उनके नाम से भी यहाँ पर शोक प्रस्ताव पास कर दिया। हम कितने इमोशन में वह जाते हैं और हकीकत से आँख मूँद लेने का काम करते हैं। हमारे सैक्युरिटी पर्सनल के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं वे सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवादियों के द्वारा सैक्युरिटी पर्सनल को इतना एजिटेड कर दो कि वह इन्सिडेंट लोगों पर गोलियाँ चला दे। लेकिन हमारे बी०एस०एफ० के लोग मारे गए तब भी उन्होंने जवाबो हमले नहीं किए इसलिए कि माँव सामने था। इसकी तीन सौ घटनाएँ वहाँ हुई हैं। आज से दो दिन पहले तक जो माँव वायलेंस की घटनाएँ की गई हैं वह 779 हुई हैं, ऐक्सप्लोजन को 733 घटनाएँ हुई हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। जो आर्म्ड पर्सनल के ऊपर अटैक हुए हैं वह 936 हुए हैं।

वहाँ आतंकवादियों का निशाना यह है कि वे सिर्फ आर्म्ड पर्सनल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं में सिविलियन्स और आतंकवादी मिलाकर कुल 420 लोग मारे गए हैं और आर्म्ड फ़ोर्स के 339 मारे गए हैं। आतंकवादियों की गोलियों से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है। उसमें ऐसा नहीं है कि हिन्दू मरा है। आतंकवादियों के गोलियों से मरने वालों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वही ज्यादा मारे गए हैं। जो हथियार बरामद हुए हैं, उनकी कल्पना की जाए तो लगेंगी कि किस हद तक वहाँ हथियार जमा हो गए हैं।

उपसभापति महोदय, जिस ए०के० 47 राइफल की बात करते हैं वे 536 पकड़ी

गई हैं। एल०एम०जी० 25, पिस्टल 517, रोकट लांचर 146, गन 2090, माइंस को अगर जोड़ा जाए तो 817 बरामद हुए हैं। ऐक्सप्लोसिवज 1126 किलो बरामद हुए हैं।

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल : यह तो हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, आपके जोड़कर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार की पालिसी क्या है वह बताइए... (व्यवधान)

श्री सुबोध कान्त सहाय : जो ऐग्युनिशन बरामद हुए हैं वह 1 लाख 5 हजार हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना सैक्युरिटी पर्सनल ने उनके हाथ से कब्जा किया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह तो बार्डर से आता है, बार्डर पर क्यों नहीं रोकते वहाँ रोकिए।

श्री सुबोध कान्त सहाय : वह टा टा करके, बाय बाय करके सरहद के पास भेजते रहते हैं। उस दिन की क्या घटना थी। उस दिन को याद करो कि एक पैराट्रूप की हत्या की गई... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : एक घटना दिवाओ पहले की। पहले ट्रिस्ट फ्लो क्या था, बताइए और इंडियन एयरलाइंस की आक्यूपेंसी क्या थी? ट्रिस्ट का इनफ्लो क्या था, यह बताइए। इसका बैरोमीटर वह है (व्यवधान)

श्री सुबोध कान्त सहाय : अगर यह हालत है तो इस हालत की कल्पना करके आप समझ सकते हैं। अभी जैसा माहौल है और जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि सर्दों के बाद जब बर्फ़ खत्म होगी, रास्ते खुलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा वहाँ बार्डर पर मुजाहिदीन खड़े हैं। यह सही है जे०के०एल०एफ़० और

मुजाहिदीन दोनों के काम में फ़र्क है। वे दोनों अपने-अपने दिमाग से लड़ाई लड़ते हैं। मुजाहिदीन आज वहाँ साम्प्रदायिकता की भावना फ़ैलाना चाहते हैं वह चाहते हैं कि किसी तरह से कश्मीर के लोगों की भलाई न हो। यह चाहते हैं कि कश्मीर में इस तरह से साम्प्रदायिकता की भावना फ़ैलाई जाए कि पूरी सरकार वहाँ के विकास के काम से अलग हट कर इसी में उलझी रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि अत्याचार के बाद सरकार ने फ़ैसला लिया है कि वहाँ पर एक स्क्रॉनिंग कमेटी बनायी जायेगी। कोई भी घटना होगी तो उस घटना के खिलाफ़ बात स्क्रॉनिंग कमेटी में आयेगी। उस कमेटी में कमिश्नर होंगे; उसमें डी०आई०जी० होंगे; उसमें डी०सी०; एस०पी० होंगे, हर एक आदमी को वहाँ अपनी बात कहने का अधिकार होगा। यही नहीं वहाँ पर जो आंदोलन चला रहे हैं कर्मचारी लोग उनका भी एक प्रतिनिधि उसमें होगा। आपको बताते हुए खुशी जाहिर कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो तीन तारीख से प्रस्तावित हड़ताल होनी थी वह हड़ताल उन्होंने विद्वड़ा कर ली। वह 3 से लेकर 5 तक होनी थी। सरकार के साथ वार्ता की गयी। जिन कर्मचारियों के बारे में कहा जाता था कि वे यह बात यू०एन०ओ० में उठाना चाहते हैं आज उन्हीं कर्मचारियों ने सरकार के साथ वार्ता करके अपना एक प्रतिनिधि स्क्रॉनिंग कमेटी में रखा है। ट्रीब्यूनल की हम जो बात करते हैं उसी तरह की स्क्रॉनिंग कमेटी सरकार ने बनाने का फ़ैसला लिया है। यही नहीं जहाँ हमने एक तरफ़ सरकारी कर्मचारियों की बात को सुनने का फ़ैसला लिया है वहाँ दूसरी तरफ़ उनके साथ सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जो यह कह रहे थे कि उनके खिलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करते। हमने 113 लोगों को बरखास्त किया था और उस बरखास्तगी में 39 लोग पुलिस के थे। बरखास्तगी के बाद हमने उनसे कहा है कि अगर वह अपील करना चाहते हैं तो उनकी सुनवाई की जायेगी। जो 113 को बरखास्त किया है उनको भी सुनवाई की जायेगी। उनको पूरी

तरह से जनसांख्यिक अधिकार होगा कि वह अपनी बात कहें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ यह कहा जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनको उन जगहों से हटाया जा रहा है। हम हटा रहे हैं इसीलिये कि जहाँ पर अतंकवादी गिरफ्तार हैं, जेल में रखा गया है अगर उन्हीं के बीच में उन लोगों को रख देंगे जो सुरक्षा व्यवस्था या शांति व्यवस्था के लिए गिरफ्तार किये गये हैं तो उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे लोगों को हटा कर दूसरी जेलों में रखा जा रहा है। जहाँ यह कहा जा रहा है कि उनको बात नहीं सुनते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जिस छात्र को गिरफ्तार किया था और जोधपुर जेल में रखा था उसकी आज परीक्षा होने वाली थी। उसका नाम है जमीर अहमद कादिर उसने हमसे कहा कि मैं परीक्षा देना चाहता हूँ श्रीनगर में। हमने उसको स्पेशल प्लेन से परीक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था की इससे सरकार की नीयत और नीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बात मैं आर्न रिक्कार्ड कहना चाहता हूँ अहलुवालिया जी, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर सरकार ने एक तरफ सख्ती से काम किया है... (व्यवधान)... आप नाम जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया उसका नाम है जमीर अहमद कादिर। जोधपुर जेल से परीक्षा देने श्रीनगर आया गया है स्पेशल प्लेन से। वह आज एक्जामिनेशन दे रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
तिहाड़ में रखा गया था वहाँ से...
(व्यवधान)...

श्री सुबोध कान्त सहाय : तिहाड़ में नहीं
रखा गया जोधपुर में रखा गया था।
बनारस में भी रखा गया है ऐसे लोगों
को। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
उनके साथ जिनकी रोज़ मुलाकात होती
है व कौन हैं यह बतायें? (व्यवधान)

श्री सुबोध कान्त सहाय : यही नहीं
हमने जितने लोगों को पकड़ा था

[श्री सुबोध कान्त सहाय]
 गिरफ्तार किया था...। उसमें 481 लोगों का अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनके प्रति कोई अपराध नहीं था तो उनका छोड़ने का काम किया गया। हम एक तरफ शांति और व्यवस्था के लिए किसी का गिरफ्तार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको छोड़ने का काम भी कर रहे हैं। यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सारी चीजों के साथ जागू रहते हैं कि हमारी नीति क्या है, नियत क्या है हमारा नियत साफ है। काश्मीर हमारा देश का अंग है। उसमें पूरी तरह से हम कानून और व्यवस्था को स्थिति बनाएंगे, वहाँ पर अंतक-वादियों का मुकाबला करेंगे, लोगों के दिलों और दिमाग में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे अमन और चैन रखा जा सके। टूरिस्ट्स का हम बढ़ावा दे रहे हैं। आपने उसका सड़ा दिया था। काश्मीर में हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि फिर टूरिस्ट वहाँ आने लगेंगे। वहाँ हम हिंसा को खत्म करके शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। वहाँ के कुछ लोगों के दिल और दिमाग में जो अजाद काश्मीर का सपना था वह सपना उनका खत्म हो रहा है। वे हताशता को समझने लगे हैं। सरकार ने जो पिछला साठे पाँच करोड़ का काश्मीर का बजट था, आज वह एक सौ करोड़ ज्यादा कर दिया है। वह साठे छः करोड़ कर दिया है। पहले साठे छः करोड़ का काश्मीर का बजट नहीं था। वहाँ से एक लाख टन सेब सरकार खरीदने जा रही है जिसके बारे में आप कहते थे कि उनके रोजगार का क्या होगा। केसर और सेब सरकार खरीद रही है। करीब 40 करोड़ से ऊपर का सेब जहाँजों से लाया जाएगा और देश के चारों तरफ बेचा जाएगा। जिस सेब की कीमत 3 रु० या साठे तीन रुपये होती थी उसका सरकार साठे पाँच रुपये में खरीद रही है ताकि काश्मीर को आर्थिक रूप से टूटने नहीं दिया जाएगा। हिन्दू या मुसलमान का सर्वाल नहीं है, काश्मीरियत इस देश की सबसे बड़ी मिसाल है और एकता की प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि वह काश्मीरियत बरकरार रखी जाए, ... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल :
 आपने अभी काश्मीर के बजट की बात कही, क्या आपने काश्मीर का बजट पास कर दिया है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं 1990-91 का बजट कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :
 आपने कहा कि सौ करोड़ रुपये ज्यादा दिये हैं। क्या आपने काश्मीर का बजट पास कर दिया है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं 1990-91 का बजट कर रहा हूँ। इस सरकार के आने के बाद जो रुपया दिया गया है उसकी बात कह रहा हूँ। जो पैसा दिया गया है उसकी बात कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :
 वह तो आपने सेक्युरिटी का दिया है ... (व्यवधान)

उपसभापति : फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुये हैं वे जवाब दे देंगे। आप बैठ जाइये।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं एनुअल प्लान की बात कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :
 वहाँ पर सब अस्पताल बंद हैं, बफतर बंद हैं... (व्यवधान)।

श्री सुबोध कान्त सहाय : वहाँ पर जो ज०के० इंडस्ट्री थी जिसमें सॉरिज आफ एन्सिलरी इंडस्ट्री चलती थी उसका हम फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। 120 करोड़ की कलर टयूब की जो प्रोजेक्ट थी उसका सरकार ने क्लियर किया है। वह वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा... (व्यवधान)
 वहाँ पर एच०एम०टी० का कारखाना चल रहा है और सीमेंट का कारखाना चल रहा है। 220 के०बी० की लाइन बनाई जा रही है। ऊड़ी की हाइड्राल प्रोजेक्ट 11 सौ करोड़ की बनाई जा रही है य सारी विकास योजनाएँ चलाई जा रही हैं... (व्यवधान)।

श्री गुलाम नबी अजाद (महाराष्ट्र) :
ऊड़ी की यात्रा को तो वे वाइन्ड अप
करके स्वीडन भी वापस चले गये हैं
... (व्यवधान) ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : उसके लिये
11 सी कराड़ का प्रावधान किया गया
है... (व्यवधान) ।

श्री गुलाम नबी अजाद : वे तो
स्वीडन भी चले गये हैं... (व्यवधान) ।

4.00 P.M.

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं एकदम
नई खबर दे रहा हूँ आपको ।...
(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY:
About the revival of the Assembly,
the Minister of Home Affairs gave
an assurance in the House. (*Inter-
ruptions*). We want to know what
the State Minister wants to say
about it. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Order

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति
महोदया,...

उपसभापति : आप खत्म करिये ।
मेरे पास बहुत सबा बिजनेस है ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति
महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि हैडीक्राफ्ट
में 15 करोड़ रुपये उनको दिये गये थे
जिससे कि उनका रोजगार चले । सरकार
5 सी करोड़ रुपये का सामान खरीदकर
दिल्ली में एकजीवियान लगा रही है जिससे
कैश मनी उनको सस्टेन्ड किया जा सके ।
इसके साथ साथ माननीय सदस्यों ने कहा
कि पोलिटिकल प्रोसेस क्या किया गया है ।
हमने इसका जवाब भी दिया है कि एक
ग्राल पार्टी काफेंस, ग्राल पार्टी डेलीगेशन
जम्मू और कश्मीर गया था और उसके
साथ... (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :
वह जो एक ग्राल पार्टी पैनल बनाया था
... (व्यवधान) ...!

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति
महोदया, वह पैनल बनाया था श्री जार्ज
फर्नांडीज ने, जब उन्हें इंजार्ज बनाया गया
था । जब श्री जार्ज फर्नांडीज हट गये तो
वह पैनल भी हटा दिया गया । लेकिन
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है...
(व्यवधान)... ये सारे काम करने के
बाद आपने कहा है कि प्रधानमंत्री क्यों
नहीं जाते । आपने बड़ा राइटली कहा ।
मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री...
(व्यवधान)... मैं कहना चाहता हूँ कि
अगर आवश्यक हुआ तो प्रधानमंत्री भी
जम्मू और कश्मीर जायेंगे जैसे कि देश के
कोने कोने में जा रहे हैं वैसे ही
जम्मू और कश्मीर में भी जायेंगे और वहाँ
लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना
चाहता हूँ कि जो सवाल ग्रामी पर्सनल,
सेक्युरिटी पर्सनल के बारे में किये गये,
उन पर जो हमले हो रहे हैं, इस देश के
नागरिक होने के नाते, वे कितनी बुरी
हालत में वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, महीनों
नहीं, सालों से उन्हें किसी छत के नीचे
छड़े होने की भी जगह नहीं दी जा रही
है और वे आतंकवादियों का पहला टारगेट
बने हुए हैं, पैरा-मिलिट्री फोर्सिंग । ऐसी
हालत में अगर हम उन मरने वालों के
परिवारों के साथ अपनी भावना नहीं जोड़
सकते तो कम से कम उनके खिलाफ
कहकर उनका मखौल न करें । लेकिन
अगर कोई ची एक्सेसेज होती है तो मैं
कहना चाहता हूँ कि... (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :
आप गलत बात कह रहे हैं । पैरा-
मिलिट्री फोर्सिंग के खिलाफ कोई बात नहीं
कही गई है । जो चार्ज हमने लगाये हैं
... (व्यवधान)... आपने स्वीकार किये
हैं । आपने छद्म ही कहा है कि उनके
अंग्रेस्ट में... (व्यवधान)...

उपसभापति : मंत्री जी, आप अपनी बात खत्म कीजिये ।

I have got amendments also.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, there is a very important point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You cannot ask half-way through. I am not permitting. Please take your seat. (*Interruption*). I am not permitting. Let him finish his speech. (*Interruptions*). We have had enough discussion of six hours.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is in th interest of the country (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is only in the interest of the country I am allowing him to speak.

श्री सुबोधकान्त सहाय : उपसभापति महोदया, इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में हमने जो पार्लियामेंट के सेशन में न होने के चलते वहाँ पर आर्टिकल 36 इन रिलेशंस टु जम्मू एंड कश्मीर बिल दिया है और वहाँ के प्रोसेज को विशेष अधिकार देने की बात कही है वह इसलिये कि इस सर्दी के बाद जो नई स्ट्रटजी के साथ पाकिस्तान की साजिश है और जो आतंकवादियों की साजिश है उसका मुकाबला इस देश की पैरा-मिलिट्री प्रोसेज और आर्मी कर सके और उनके साथ स्वाभिमान से लड़ सके और कश्मीर में अमन चैन बरकरार कर सकें ताकि वहाँ पर जनतांत्रिक पद्धति की शुरुआत की जा सके ।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I want to make a personal explanation because the hon. Minister has mentioned my name.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the personal explanation about? •

SHRI GHULAM NABI AZAD: While speaking, the hon Minister has said that I have alleged that as many as 100 people were involved in raping and other things. He has said their number is much less. So, I would like to just quote the Director General of Police, Mr. J. N. Saxena.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I won't allow you a long time to speak.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am just quoting him.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot quote for a long time. You just give it to me or you just say how many people there are.

SHRI GHULAM NABI AZAD: The Director General of Police has said that 32 cases been registered against the para military forces.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: I have said like this,

SHRI GHULAM NABI AZAD: But only in one of the cases which has been investigated so far, 12 para—military Officers have been put under suspensn. When in one case 12 people have been suspended, it means in 32 cases 384 people have been suspended...

मुझे अफसोस है कि आज सरदार पटेल की आत्मा को बड़ा धक्का पहुंचा होगा (*Interruption*)...

It is most unsatisfactory and most irrelevant:... (*Interruption*)...

THE - DEPUTY CHAIRMAN: Please take, your seats. I said I have got a lot of amend' ments and we have to finish this Bill.

SHRI S. B. CHAVAN Maharashtra: Madam, I have to remind you that the Deputy Chairman was pleased to state that the Finance Minister would be sitting here and he would be able to explain the financial position about the statement that the Minister was-makine. He said something about the finances and you were pleased to

state that the Finance Minister would be able to clarify the whole position.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister has cleared it, he did not need the help or guidance of the Finance Minister. He did not need it. If he needed it, I would have asked the Finance Minister to help. I shall first put the amendment moved by...

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) :
 सरदार पटेल के बारे में जो आजाद साहब ने प्रस्तावित किया उसके बारे में भी आप कुछ प्रस्तावित करें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the amendments....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
 रिजोल्यूशंस पर हमारे अमेन्डमेंट्स हैं। जब मूव किया था तो कहा गया था कि जब अमेन्डमेंट आयेगा तब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
 Just a minute. Let me first put it.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Madam,.....

THE DEPUTY CHAIRMAN¹
 Who promised you?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: O. K. I will abide by it. I shall first put to vote the amendments moved by Shri Subramanian Swamy and Shri Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जब मूव किया गया था चेयर ने कह दिया था बाद में बोलिएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN,
 you should have spoken at the time when you had moved the amendment.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उस वक्त कहा गया था कि बाद में बोलिएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
 Then you ought to have spoken at that time. This is not the time to speak on it.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Yes, certainly.

mt » THE DEPUTY CHAIRMAN:
 Do you remember who has promised ?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I do not remember.

THE DEPUTY CHAIRMAN • Who was in the Chair? I think it is absolutely a wrong procedure {Interreputions}

माथुर साहब एक मिनट बैठिए। आप इस हाउस के बहुत सीनियर मेम्बर हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप मूव करते हैं तब आपको बोलने का अधिकार होता है. वोटिंग के टाइम पर नहीं होता है।

I will allow you in the third reading, not now. I cannot allow you now. I will allow you in the third reading. I cannot commit another mistake.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It is not my mistake.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
 If some mistake was done, I am not going to repeat it.'

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप गलत कह रही हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
 Not yours, not mine. If a Vice-Chairman made a mistake, I am not going to continue it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): He requested us to speak afterwards.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
 I will allow you in the third reading

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: In the third reading⁰ everybody will be allowed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, not everybody will be allowed, it is a discretionary power. I will allow you in the third reading. I cannot allow you now... {Interruptions} Please don't argue.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: This is not an amendment to the Bill. It is an amendment to the Resolution. Don't be so strict.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't argue. Let me find out who was in the Chair and who made such a mistake.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I do not know. I do not remember. It is for you to see the record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Speak for two minutes only. But this is not going to be the procedure. It is not going to be a convention. I am only allowing you as a special case.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उस समय कहा था कि नहीं, आप मुव करिये बाद मैं बोलिगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not going to make it a convention. Mr. Subramanian Swamy, you please speak.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I thank you, Madam Deputy Chairman, for the special consideration. My amendment calls for holding of elections in the state before the end of October. First of all it will be entirely wrong and a fraud on the Constitution is President's rule in Kashmir is revived. It will be much better if we hold elections. This Government is running away from elections on every front. In Punjab, we don't know what kind of fraud was there also. In Punjab although Lok

Sabha elections took place, they have not been able to hold elections to the Assembly and I am told they are again coming back to beg the House for extending President's rule. The same thing in Assam, the same thing in Kashmir. And this is creating a very bad impression. Only an elected Assembly can maintain human rights in Kashmir. And this Government, taken in totality along with the reservation issue, is taking the country to balkanisation and

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, मेरा संशोधन बिल्कुल सुन्नहमय्यम स्वामी के विरोध में है और मैं उठा भी इसलिए था । . . . (व्यवधान)

मेरा आग्रह है कि कश्मीर में आज कदापि चुनाव नहीं होना चाहिए और, इसके साथ ही किसी प्रकार का प्रश्न चाहे वह संवैधानिक भी हो वहां कि जो मत असेम्बली हैं, उसको जीवित किये जाने का प्रश्न नहीं होना चाहिए।

गवर्नर की रिपोर्ट सामने है। उसमें साफ कहा गया है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव हो सके। इधर से भी वही कहा गया है, और उधर से भी ऐसा ही कहा गया है। अब दोनों तरफ से कहा गया है कि आज हालात बहुत खराब हैं और मेरे शब्दों में तो हालात विद्रोह के हैं। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि जब वह आरोप लगाने हैं पैरा- मिलिटरी फोर्स पर या जो हमारी सेना के अन्य लोग जो वहां पर हैं— थोड़ा सोचें—समझें अफसोस है कि वहां पर एक विद्रोह की स्थिति है। विद्रोह में यह कभी देखा नहीं जाता कि आपको एक या दो गोली चलानी है या कितनी चलानी है। मेरे कहने का मतलब यहाँ नहीं है कि आखें मुव कर गोलियां चलाइये। सच्चाई है कि वहाँ विद्रोह है। मैं मंत्री महोदय से एक बात पर सहमत नहीं हूँ— उन्होंने कहा है कि इस सरकार के पहले बड़ा अच्छा अमन चैन था, बड़ा अच्छा

वातावरण था। तो क्या निर्णय हालात अब बिगड़े हैं? आपके आने के बाद या इनके आने के बाद? आपके आने के बाद बिगड़े होंगे। लेकिन इनके आने से पहले और ज्यादा बिगड़े हुए थे तथा अधिक बिगड़ते चले गए।

सन 1947 से लेकर अभी तक की कहानियाँ अगर सुनाऊँ तो समय लगेगा म केवल नमूने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ—एक शेर जो सदन में पढ़ा गया है, उसी को दोहराता हूँ। वह दिखाता है कि क्या हालत है वहाँ के लोगों की और क्या जहनीयत है वहाँ के लोगों की। पुरा शेर शायद गलत लिखा गया है रेकॉर्ड में—सलारिया साहिब ने पढ़ा था।

बन जाए जुल्मों जहलत ने बुरा हाल किया,
बन के निकराज हमें बेपरमाज किया,

अगला शेर है—

तोड़ उस दस्ते जफा कस को या रब,
जिसने रूहे आजादी कश्मीर को पामाल किया।

इसी सदन के अंदर यह बात कही जाती है कि कश्मीर की आजादी को जिसने पामाल किया, उसके दस्त को तोड़ दो सके हाथ को तोड़ दो। कश्मीर घाटी के अंदर यह बात गूँज रही।

मैंने उस दिन जानबूझकर एतराज नहीं किया था कि जो सलारिया साहिब ने यह शेर पढ़ा था कि उस दस्ते को तोड़ दो, जिसने रूहे आजादी को पामाल किया है। हाँ अलग आजादी के लिए बात की जा रही है, वहाँ पर चुनाव करायेंगे आप? जहाँ पर हजारों लोग आज गद्दारी पर उतरे हैं, वहाँ पर चुनाव करायेंगे आप? क्या चुनाव कराने के बाद आप चाहते हैं कि वहाँ की असेम्बली के अंदर बैठे हुए लोग यह कह दें कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जा सकता।

अगर कानून और कायदा देखना है, तो कश्मीर का जो कंस्टीट्यूशन है उसे भी देख लीजिए, कश्मीर का कंस्टीट्यूशन स्वयं कहता है कि कोई इस प्रकार का बिल, कोई इस प्रकार का सवाल जोकि यह सवाल पैदा करे कि हिंदुस्तान के साथ में तालुकात क्या हों। वह असेम्बली में नहीं उठाया जा सकता।

जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आज लोकतंत्र के बहाने गद्दारी की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से इस सदन से तथा सारे देश से कहना है कि जिस समय तक टेरोरिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाती, जो बाहरी ताकतों के सहायक टेरोरिस्ट वहाँ हैं, उनमें से एक एक आदमी को चुन-चुन कर बाहर नहीं किया जाता, उस वक्त तक चुनाव कराना बड़ी गलती होगी।

क्योंकि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का भी एक प्रस्ताव है, इस पर वोट करा लीजिए उसके बाद मैं अपने संशोधन पर वोट कातय करूँगा।

grtmrfk: srarr aft sq% *rr< ft | i They are shown together...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Why together? How can they be together?

SHRI SUBRAMANIAN

SWAMY: After hearing Jagdish Mathur I think even in Ayodhya there can be no elections.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Both the amendments have been clubbed together. If they are diametrically opposite, I do not know why the Secretariat put them together. Anyhow, I will put them to vote separately.

I shall now put Shri Subra-manian Swamy's amendment to vote.

The question is: That after the said Resolution, the following be added, namely:—

"That the House further resolves that the elections to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly be held before November 1, 1990."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the amendment of Shri Jagdish Prasad Mathur to vote.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Madam, having got my friend, Shri Subramanian Swamy's amendment defeated, I withdraw my amendment. It has served my objective

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the Resolution moved by the Minister to vote.

The question is:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 10th July 1990, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jammu and Kashmir.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Resolution moved by Mr. S. S. Ahluwalia to vote.

The question is:

That this House disapproves of the Armed Forces (Jammu and Kashmir) special Powers Ordinance 1990 (No. 3 of 1990), promulgated by the President of India on the 5th July, 1990.

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put to vote the motion moved by the Minister.

The question is:

That the Bill to enable certain, special powers to be conferred upon members of the armed forces in the disturbed areas in the state of Jammu & Kashmir as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 3 was added to the Bill-

Clause 3 Power to declare areas to be disturbed areas

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I beg to move:

(12) • That at page 2, lines 5 and 19, the words "or the Central Government" appearing at two places be *deleted*.

(13) That at page 2, line 6, for the words "Such a" the words "extremely" be *substituted*.

(14) That at page 2, lines 8—9 the words "overawing the Government as by law established or" be *deleted*.

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You have already spoken. Do not argue at this stage. Please take your seat. You have spoken enough.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You see, you have spoken enough. Everytime I have allowed people to speak on the amendments. But you have spoken enough already and further, we have got a lot of other business also..
(Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA:
You are creating a new convention,
Madam... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN:
There is no new convention. Pro-
bably you may be a new Member.
You see, you don't have to speak on
every amendment that you move.
Please take your seat.

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Thank you very much, Madam,
You are creating a new convention
... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I
shall now put the amendments
moved by Shri S. S. Ahluwalia to
vote.

*The amendments, Nos. 12, 13
and 14 were negative.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I
shall now put clause 3 to vote.

The question is:

That clause 3 stand part of the
Bill.

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

*Clause 4- Special powers of the
Armed Forces.*

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Madam, I beg to move:

(1) That at page 2, line 25, for
the words "commissioned officer,
warrant officer, non-commissioned
officer", the words "officer not
below the rank of Captain" be
substituted.

(2) That at page 2, —

(i) lines 29-30, for the words
"such due warning as he may
consider necessary" the words "due
and proper warning" be *substituted.*

(ii) lines 31, 32, for the words
"acting in contravention of any law
or order for the time being in
force" the words "committing a
terrorist act" be *substituted.*

(Hi) lines 34, 35, the words "of
things capable of being used as
weapons or" be *substituted.*

(3) That at page 2, lines 40-41,
the words "or absconders wanted
for any offence" be *deleted.*

(4) That at page 3, after line 3,
the following proviso be *inserted,*
namely:

"Provided that nothing shall be
done with the sole intention of
harassing the residents of the
premises and if harassment is
proved, proper action against such
officer or person shall be taken
under the Armed Forces law for the
time being in force. "

(5) That at page 3, lines 6 and 8,
for the words "necognizable
offence" appearing at two places,
the words "terrorist act" respec-
tively be *substituted.*

(15) That at page 2, line 31,
for word "death" the words
"grievous hurt" be *substituted.*

(16) That at page 2, line 42,
the words "without warrant" be
deleted.

(17) That at page 2, line 46,
the words "without" warrant"
be *deleted.*

(18) That at page 3, line 4, for
the words "search and seize" the
words "and search" be *substituted.*

The questions were proposed

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
मैडम, मुझे यहाँ बोलने दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
It is not proper, Mr. Ahluwalia.

SHRIS. S. AHLUWALIA: Madam, I have a right to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Having spoken on the Resolution, having replied, now you have no right to speak any more. Anyhow, I will allow you to speak only for one minute. Please speak for one minute and sit down.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
मैडम ये सरकार जिसने सिविल लिबरटीज की बात की थी, यू० एन० चार्टर और ह्यूमन राइट्स की बात की थी—आज वह एक ऐसा बिल ला रही है जिसमें क्लॉज-4, क्लॉज-5 वगैरह के तहत हथारे राईट टु लिबरटी, राईट टू प्राइवैसी, राईट टु लाइफ एंड राईट टू बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स टू सीक रिट्रैसल इन द कोर्ट—सब कुछ हम से छीना जा रहा है। इसके विरोध में, मैंने जो एमेंडमेंट्स दी थी, ग्लिबेट थी। अगर मंत्री महोदय इसपर गौर फरमाकर संशोधन करते तो मैं समझता हूँ कि नेशनल फ्रन्ट ने अपने मैनीफेस्टो में जो कुछ कहा था जनता के सामने कि वह उनके ऐसे अधिकार वापिस दिलवाएंगे, काले कानूनों को खत्म कर के—तो उसको कथनी और करनी में फर्क नहीं होता और उनकी कर्नी सही साबित होती। लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क हो हा है (समय की घंटी)

And I press my amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now, I am putting the amendmets to vote.

Amendments Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 and 18 were negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
The question is:
That caluse 4 stand part of the Bill.
The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 (Power of search to include powers to break open locks, etc.)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Ma-
dam, I beg to move:

That at page 3 line 13 for the word person" the words "Army Officer" be substituted.

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
The question is:
That clause 5 stand part of the Bill.
The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1 (Protection of persons acting in good faith under this Act)

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Madam, I beg to move:

That at page 3 line 26 for the words "any person" the words "any army officer" be substituted.

That at page 3 clause 7 be deleted.

The question was proposed.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
महोदया, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि हम आज इतिहास में फिर काले अक्षरों में लिख रहे हैं, यह सदन एक काला कानून पास कर रहा है जोकि सर्वप्रथम काला कानून के नाम से जाना जाएगा। मैं इसका विरोध करता हूँ और अपना एमेंडमेंट मूव करता हूँ, प्रेस करता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am putting the amendments to vote.
{*Amendments Nos. 7 and 19 were negatived.*}

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सुबाघ कान्त सहाय : उपसभापति
महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—
यह बिल पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Prof. Madhu Dandavate is here. I would ask him to move his Statutory Resolution. (*Interruptions*) There was a discussion between the Leader of the House and the Leader of the Opposition and the leaders of various parties and groups. They decided that the Statutory Resolution will be taken up first and the Industrial Policy will be taken up later.

STATUTORY RESOLUTION APPROVING INCREASE IN BASIC EXCISE DUTY ON MOTOR-CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES

THE MINISTER OF FINANCE
(PROF. MADHU DANDAVATE):
Madam, I beg to move the following Resolution:

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 3 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (Act No. 5 of 1986), this House approves the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/90-Central Excise, GSR 721(E), dated the 22nd August, 1990, laid on the Table of the Rajya Sabha on 22nd August, 1990, increasing the basic excise duty leviable on motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of the persons (other than those of Heading No. 87. 02) including station wagons and racing cars from 40 % *ad valorem* to 50 % *ad valorem* from the date of issue of the said notification. "

[The Vice-Chairman (Prof. Chandresh P. Thaknr) in the Chair.]

J Sir, when I had made the statement before the House, many clarifications were sought. I have with me the records of the Rajya Sabha proceedings in which clarifications running into 26 pages have already "been offered by me. So, it is only a technical Resolution. I request that the House may adopt it unanimously without any discussion.

THE VICE-CHAIRMAN
(PROF. CHANDRESH P. THAKUR): There are two amendments, one by Shri S. S. Ahluwalia and the other by Mr. V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY
(Pondicherry): Sir, I move the following amendment:

That after the said Resolution, the following be added, namely: —

"Subject to the condition that Government enforces strictly the ban on use of Government vehicles on weekly holidays. "

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar):
Sir, I move the following Resolution:
That after the said Resolution, the following be added, namely: —
"provided that this notification shall cease to have effect upon the situation in the Gulf improving and petroleum products becoming easily available for domestic consumption. "

The questions were proposed

THE VICE-CHAIRMAN
(PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Narayanasamy, please speak briefly and then your amendment will be put to vote. Please finish in two minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY:
Sir, I went through the Statement made by the hon. Minister and also the clarification sought by the hon. Members. The Minister has mentioned in his Statement that the curb on the use of vehicles by the Central Government offices